शपथ ही खा लो आज से, तोड़ो नाता शराब से।

—।—

हरियाणा सरकार

अधिकारी गण के ध्यान में लाया जाता है कि श्री Gurmeet Singh, Stenographer ने अपना G.I.S का खाता खोलने हेतु आवेदन दिया है।

इस समय विभाग में श्री शमशेर सिंह स्टैनो के बाद इसका नम्बर आता है इस प्रकार श्री Gurmeet Singh Stenographer का GIS का खाता नं० HR/Archives-97/GIS-C-50 बनता है।

अत अनुमति हो तो यह खाता न Allotment कर देवे

सहायक

27/8/98 9/8/98

अधीक्षक

उप अ

SA

12 9-9-98

शु- आज्ञार्थ !

सहायक

8-9-98

सहायक निदेशक

8-9-98

उप-3

सभी कागज़ों के खाता न नर दिया है और कागज पर DDA के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है

सहायक

6/10/98

अधीक्षक

उप-3

Nomination form Complete करा कर प्रस्तुत करें

8-10-98

GOVERNMENT OF HARYANA

डी॰ [illegible]

हरियाणा सरकार

G.I.S. का nomination फार्म दुबारा ठीक करके [illegible] दिया हो

[illegible]
9/10/98

[illegible] कृपया अभी भी फार्म नं. 1 [illegible] में [illegible] से enrol किया गया है [illegible] subscription [illegible] महीने से [illegible] जाती है तथा [illegible] benefit [illegible] family [illegible] में contingencies [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] अत: सहायक को सलाह दी जाती है कि [illegible] सहायक के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

फार्म के [illegible] कॉलम (1-1) से [illegible] है [illegible] के [illegible] कर देवें

[illegible]
20/10/98 [illegible] 20/10/98

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 26/10/98 के [illegible] [illegible]

GOVERNMENT OF HARYANA

[illegible] 19/1/99

[illegible] 19/8/98

शपथ ही खा लो आज से, तोड़ो नाता शराब से।

हरियाणा सरकार

विभाग के श्री गुरमीत सिंह, Jr.S.S का nomination form तथा form नं 1 सम्पूर्ण कर दिया गया है कृपया इस हस्ताक्षर करने का कष्ट करें इसकी एक प्रति Secy to Govt Haryana, General Administration Deptt को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना है।

कृ. स्वच्छ प्रारूप हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

तरीफ
23/8/99

लो-2

Apul

अवर सचिव
23-8-99

उ.सि.ग

अधीक्षक
23-8-99

SA

जारी करें।

प्रधान सचिव
24-8-99

धर्मपाल शर्मा 25/8/99 Desp

जारी क्रमांक 1931
दिनांक 25/8/99

लो-2

4 - D.No. 1600 / 9/2

हरियाणा सरकार

प्रेषक :- सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय अभिलेखागार, गुड़गावा

क्र. न. 2/45-99-GOA/110
दिनांक 3-6-99

विषय :- श्री बलतान सिंह, डी.बी. कन. ऑफ्सर का GPF खाता खोलने बारे।

वि.पत्र अधिकारीगण कृपया वि.पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सहायक निदेशक क्षेत्रीय ने श्री बलतान सिंह, चौपन कम डी.बी. को GPF खाता खोलने बारे Application form with nomination form भेजा है।

इस सम्बन्ध में ध्यान में लाया जाता है कि कर्मचारी का GPF खाता सहायक निदेशक, क्षे.अभि. गुड़गावा द्वारा अपने स्तर पर ही खोला जाना है इसका GPF AC न. भी उनके द्वारा ही दिया जाना है अतः यदि अनुमति हो तो श्री बलतान सिंह, की Application मूल रूप वापिस भेजते हुए इस बारे सहायक निदेशक, गुड़गावा को सूचित कर दिया जावे।

कृ. अनुमोदनार्थ / सूचनार्थ

सहीक
27/8/99
अधी

27-8-99

अभिलेखित
27.8.99

GOVERNMENT OF HARYANA
हि. टाईप हुई
dn. दिनांक 30-8-99

लौट
7/9/99

शपथ ही खा लो आज से, तोड़ो नाता शराब से।

हरियाणा सरकार

गतपृष्ठ पर अनुमोदन अनुसार स्वच्छ

प्रारूप हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

मरीफ
8/9/99

3/9/99

कंवर सिंह यादव
8/9/99

9-9-99

कृ. जारी करें।

9-9-99

15/9/99

जारीक्रमांक 2012
दिनांक 15/9/99

लि-2

रा.ना. 2364
29/7/99

हरियाणा सरकार

प्रेषक- सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय अभिलेखागार, रोहतक
पत्र क्रमांक 27-98 RDA/433
15/7/99

विषय श्री बिशन दत्त का GIS खाता खोलने बारे।

विषय

अधिकारीगण कृपया पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सहायक निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेखागार ने अनुरोध किया है कि उनके कार्यालय के श्री बिशन दत्त, Peon cum D.B. cum Mender का GIS खाता खोलकर No. अलाट किया जाए यदि इसके लिए कोई निर्धारित फार्म है तो उसकी एक खाली प्रति भिजवाने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में ध्यान में लाया जाता है कि कर्मचारी का GIS खाता सरकार की हिदायतों अनुसार उनके कार्यालय के द्वारा खोला जाना है अतः यदि अनुमति हो तो सहायक निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेखागार को Modification की एक प्रति भिजवाकर कर्मचारी का खाता अपने स्तर पर खोलने बारे लिख दिया जाए।

यह अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

सहायक
27/7/99

अधीक्षक
28/7/99

कां सि
28/7/99

लेखाधिकारी
28-7-99

GOVERNMENT OF HARYANA

SA
29/7/99

[illegible] 29/7/99

[illegible]

हरियाणा सरकार

जिसे पड़ा शराब का स्वाद, समझो उसका घर बरबाद।

प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अ०प्रे०
12-10-99

12-10-99

12-10-99

सा० हेतु।

13-10-99

प्रारूप की स्वच्छ प्रति हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

25-10-99

25-10-99

26-10-99

जारी करें।

26-10-99

जारी क्रमांक 2260/ R-99
दिनांक 28/10/99

GOVERNMENT OF HARYANA

D.No. 2772 2634
4/11 25/10

हरियाणा सरकार

प्रेषक :- (1) सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय अभिलेखागार, रोहतक

क्रमांक 27-98 RDA/487
22/10

(2) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

4/6/99-3 [illegible]
11/10

विषय:- Sending of C.S. Ah श्री गुरमीत, [illegible] तथा [illegible] हेतु का दास खाता खोलने बारे।

विषय I तथा II

अधिकारीगण कृपया पत्रों को अवलोकन करने तथा [illegible] करें।

विषय I सहायक निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेखागार रोहतक ने अपने पत्र क्रमांक 27-98 RDA/433 दिनांक 15-9-99 का हवाला देते हुए श्री [illegible] Record Room Duty Record Room Munda का दास खाता खोलने का अनुरोध किया है। [illegible] ध्यान में लाया जाता है कि कर्मचारी का खाता स. निदेशक द्वारा अपने स्तर पर खोला जाना है जिसकी सूचना उनको पहले ही भेजी जा चुकी है अतः PUC को फाइल करने के आदेश प्रदान करें।

विषय II मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, दास खाता खोलने श्री गुरमीत, [illegible] का दास खाता खोलने

[illegible]

पापा तुम मत पियो शराब, मुझ को ले दो मेरी किताब।

हरियाणा सरकार

पूर्व पृष्ठ से आगे

और Form-E तथा Nomination form आवश्यक कार्यवाही हेतु सरकार को भेजे जोकि उन द्वारा Nomination form प्रेषित करते हुए लिखा है कि इस पर कार्यवाही की जाए कि बिमा योजना 1985 के नियम 19(7) के अन्तर्गत की जाए।

इस सम्बन्ध में ध्यान में लाया जाता है कि उपरोक्त नियम अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है अतः PUC को फाईल करने की आज्ञा हेतु पेश।

सही 15/11/99

[illegible] आशोक 15/11/99

[illegible]

उ. प्र. अ.

[signature] 16-11-99

[signature] 16-11-99

[illegible] 16/11/99

लै. 2

हरियाणा सरकार

विषय:— ग्रौलीय कार्यालय रोहतक तथा गुड़गांवा में कार्यरत कर्मचारी श्री निरंजन दत्त तथा श्री कप्तान सिंह की GIS की राशी की कटौती बारे।

उपरोक्त विषय बारे अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि ग्रौलीय कार्यालय रोहतक तथा गुड़गांवा में कार्यरत श्री निरंजन दत्त तथा श्री कप्तान सिंह ने मई 1998 में कार्य भार ग्रहण किया था। सरकार की हिदायतों 16/6/84-3 FS II दिनांक 20-8-85 के नियम 6 के अनुसार कर्मचारियों की Insurance की राशी 15/- प्रतिमाह के हिसाब Date of Joining से काटी जानी है जोकि काटी नहीं गई तथा कर्मचारियों 1-1-99 से GIS स्कीम का मैम्बर बनाया जाना है और उनका खाता खोलकर उनके खाते में 15/- प्रतिमाह 1-1-99 to 28-2-99 वर्ष 1998-99 के लिए तथा वर्ष 1999-2000 के लिए 1-3-99 से 29-2-2000 के लिए सरकारी योगदान की राशी जमा की जानी थी जोकि शायद नहीं की गई अतः यदि अनुमोदित हो तो सहायक निदेशक, ग्रौलीय अभिलेखागार, रोहतक व गुड़गांवा को उपरोक्त अनुसार राशी कारण बारे स्थिति स्पष्ट कर दिखाएं और यदि उनकी समझ में नहीं आता है तो उनके कार्यालय से किसी कर्मचारी को मुख्यालय बुला लिया जाए।

कृ. हस्ताक्षर / अनुमोदनार्थ।

GOVERNMENT OF HARYANA

(हस्ताक्षर) 3-1-2000

(हस्ताक्षर) अ.प्र.नि. 11-1-00

के प्रारूप ग्रौलीय रिकॉर्ड अंतर्गत काटी जा की जाती है तथा जिसके बारे में जानी है प्रारूप में अंकित कर दें।

(हस्ताक्षर) 10-1-2002

(हस्ताक्षर) —2

(हस्ताक्षर) (मार्क)

पापा तुम मत पियो शराब, मुझ को ले दो मेरी किताब ।

हरियाणा सरकार

ई - टाईप हेतु ।

18-1-2000

18/1/2000

18/1/2000

18-1-2000

21-1-2000

जारी No. 1514015-2

21.1.2000

हरियाणा सरकार

विषय : श्री पन्नु लाल, भूतपूर्व चौकिदार की नई सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत Insurance fund तथा Saving fund की अदायगी बारे।

उपरोक्त विषय बारे अधिकारीगण कृपया ध्यान में लाया जाता है कि नई सामूहिक बीमा योजना 1985 की हिदायतों अनुसार श्री पन्नु लाल, भूतपूर्व चौकिदार की Insurance तथा Saving fund की payment की जानी है जिसके लिए उनके Nominee को सूचित किया जाना है अतः यदि अनुमति हो तो विभागीय रिकार्ड अनुसार श्री मुकेश कुमार S/o श्री पन्नु लाल जोकि Nominee है, को सूचित कर दिया जाये कि वह कमरा 6 मुख्य कार्यालय में प्रस्तुत करें।

कृपया सूचनार्थ / अनुमोदनार्थ

सहायक
6/10/2000

अधीक्षक
6-10-00

3. [illegible]

अधिकारी
6-10-2000

[illegible]
6/10

जारी करें।
6-10-2000

जारी क्रमांक
लेखा-2 1800
6.10.2000

1973
9/10/2k

पापा तुम मत पियो शराब, मुझ को ले दो मेरी किताब ।

हरियाणा सरकार

From: Mukesh Kumar S/o Late Sh. Chandu Lal, Chowkidar

Subj. Application for payment of amount due to Late Sh. Chandu Lal, Chowkidar under the Haryana Govt. Employees Group Insurance Scheme, 1985.

विषय

अधिकारीगण कृपया विषय का अवलोकन करने का कष्ट करें।

श्री मुकेश कुमार S/o श्री चन्दु लाल चौकीदार ने कार्यालय पत्र 1/19-98/आर 1800 दिनांक 6.10.2000 के सदर्भ में अपने पिता की हरियाणा सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना 1985 के अन्तर्गत Insurance तथा Saving Fund की राशी अदायगी का अनुरोध किया है।

इस सम्बन्ध में सरकार की हिदायतें 16/6/84-3 GS-II दिनांक 20.8.85 अनुसार Insurance Fund की रुपये 15000/- तथा Saving Fund A/c No. HR/Archives-86/GIS D-21 में 3894/- रुपये की राशी का भुगतान मृत कर्मचारी के Nominee को की जानी है। कार्यालय रिकार्ड अनुसार श्री मुकेश कुमार श्री चन्दु लाल, चौकीदार का Nominee है। इस प्रकार उपरोक्त अनुसार Insurance तथा Saving Fund की राशी का भुगतान श्री मुकेश कुमार को किया जाना है। अतः यदि अनुमति उपरोक्त राशि की Sanction निकाल दी जाये।

कृपया अनुमोदनार्थ / प्राधन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सरीफ
16/10/2k

ह. उप निदेशक अभिलेख स्वीकृति प्रदान करने के लिए
GOVERNMENT OF HARYANA अनुमोदनार्थ / आदेशार्थ।

10-10-2000

11/10

कृ. राधेश्याम इन्दु ...
11-10-2000
स्टेनो
11/10/शर्मा-2

11/10/2k

11-10-2000

हरियाणा सरकार

भाग [illegible] [illegible] [illegible] अनुसार Sanchi के दोनों [illegible] प्रारूप [illegible] प्रस्तुत है

[illegible]
19/10/20

अ/5
19/10
[illegible]

[illegible] 19/10/2020

3 [illegible] 31

[illegible]
24/10

[illegible] जारी करें।
[illegible] 24-10-2020

[illegible] [illegible] 1903-7
1908-12
31/10/20

पापा तुम मत पियो शराब, मुझ को ले दो मेरी किताब।

हरियाणा सरकार

Sanction No. 1/19-99- Admn दिनांक 11-10-2k

के अनुसार स्व. श्री मन्नु लाल चौकीदार की नई सामूहिक बीमा योजना के Insurance Fund के मध्य 15000/- तथा Saving Fund के मध्य 38941/- की राशी के दोनों बिल तैयार कर दिये है

कृपया बिल हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

सरीफ
3/11/2k

अशोक
7-11-2k

3

7-11-2000

8-11-2k

7-11-2000

7/11

हरियाणा सरकार

विभागीय कैशियर लेखा श्री चन्दुलाल,
अधु. चौकीदार के आदेश 1/19-99 आम दिनांक 11.10.2K
द्वारा क्रमशः 15000/- तथा 3894 के ड्राफ्ट नम्बर
"686736" दिनांक 16.11.2000 तथा 893390 दिनांक
16.11.2000 प्राप्त हो चुके हैं। यदि अनुमति
हो इन्हें श्री मुकेश कुमार s/o श्री चन्द लाल
को भेज दिया जावे।

कृपया अनुमोदनार्थ। आदेशार्थ प्रस्तुत है

[illegible]
27/11/2K

[illegible]
27/11/2K
[illegible]

[illegible]
27-11-2000

[illegible]
27/11

[illegible]

जारी करें।

[illegible] 27-11-2000

जारी क्रमांक 2040
दि. 27/11/2K.

AR
28-11-2K.

पापः तुम मत पियो शराब, मुझ को भी दो मेरी किताब।

हरियाणा सरकार

विषय: श्री कृष्ण नारायण, चालक के G.I.S. की अदायगी बारे।

उपरोक्त विषय पर अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि श्री कृष्ण नारायण, चालक दिनांक 31.12.2011 को सेवा से मुक्त हो रहे हैं। सरकार की हिदायतों अनुसार कर्मचारी को last working day को उनकी रकम देय होती है इसलिए श्री कृष्ण नारायण के G.I.S. खाते निरन्तर HR/Archives-86/515-C-9 में Saving Fund + Interest. की कुल राशि 7534/- बनती है। अतः यदि अनुमति हो तो कर्मचारी को उपरोक्त राशि की अदायगी कर दी जाए। जोकि उप निदेशक अभिलेखागार सक्षम अधिकारी हैं।

कृपया Sanction का प्रारूप अनुमोदनार्थ / Ledger Register की Entry भी हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

लिपिक
20/12/2011

[signature]
अधीक्षक
20-12-2011
अ. अभिलेख

[signature] 20-12-2011

[signature] 20-12-2011

कनिष्ठ लिपिक
20-12-2011

[signature]
20/12

हरियाणा सरकार

गत पृष्ठ पर अनुमोदन अनुसार Sanction का निर्गम प्रारूप / बिल हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है

सदीप
20/12/2001

आशोक
20-12-2001

फतेह सिंह मालव
2012-2001

उ. नि. लेखा

20/12

2012-2001

2012-2001

GOVERNMENT OF HARYANA

1258
25/6/02

पापा तुम मत पियो शराब, मुझ को ले दो मेरी किताब ।

हरियाणा सरकार

प्रेषक मुख्य सचिव,
हरियाणा सरकार ।

2/3/2002 2 Mails
17/6/02

विषय:- नई सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत रिटायर/मृत कर्मचारियों अधिकारियों की अंश की गई राशि की जानकारी सरकार को भेजी जाती है उस पर कर्मचारी/अधिकारी का पहचान अंकित करने बारे ।

टिप्पणी अधिकारीगण कृपया विषय का अवलोकन करें एवं कार्य करें।

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि विभागों द्वारा अपने कर्मचारियों/अधिकारियों को नई सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत किये गये भुगतान की स्वीकृति में कर्मचारियों/अधिकारियों का पी.एफ. नम्बर नहीं लिखा होता है। कृपया भविष्य में उपरोक्त नम्बर स्वीकृति दर्शाया जावे।

इस सम्बन्ध में लिखा जाता है कि विभाग द्वारा पहले ही उपरोक्त हिदायतों की पालना की जा रही है। यदि अनुमति हो तो इस पत्र की प्रति सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दी जावे।

कृपया सूचनार्थ/स्वच्छ प्रारूप हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

सहायक
9/7/2

अधीक्षक 9-7-2002

10-7-02

11/7

GOVERNMENT OF HARYANA

जारी करें।

11/7/02

11-7-02

जारी क्रमांक 1315-18
दिनांक 11-7-02

1381
16/7/02

पापा तुम मत पियो शराब, मुझ को ले दो मेरी किताब।

हरियाणा सरकार

प्रेषक :- इन्द्रजीत कपिल
उप निदेशक

दिनांक 16.7.02

विषय :- Application for payment of accumulation under Haryana Govt. Employees Group Insurance Scheme, 1985

वि.पत्र

अधिकारीगण कृपया वि.पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

श्री इन्द्रजीत कपिल, उप निदेशक ने अनुरोध किया है कि नई सामूहिक बीमा योजना 1985 के अन्तर्गत मैं 1.5.85 से इसका सदस्य हूँ। मैं 58 वर्ष की आयु के बाद 31.7.02 को सेवामुक्त हो रहा हूँ मेरे G.I.S खाते में काटी गई राशी का भुगतान मुझे किया जाये।

इस सम्बन्ध में ध्यान में लाया जाता है कि अधिकारी के GIS खाते में काटी गई राशी का विवरण Ledger Account Register में तैयार कर दिया है उनके खाते कुल 25166/- रुपये की राशी ब्याज सहित बनती है। जिसका भुगतान किया जाना है। इस राशी की भुगतान की स्वीकृति कॉलेज DDO सक्षम हैं परन्तु श्री इन्द्रजीत कपिल, उप नि: स्वयं DDO है। इसलिए उनके GIS खाते में जमा राशी का भुगतान करने की स्वीकृति कॉलेज प्रशासन अधिकारी महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सतीश
16/7/02
सम

आ.ओ.डि.
17-7 अ.अ.अ
उ. नि.अ

कंवर सिंह मान
18.7.02

[signature]
18/7

Level AdO

प्र. अ.

GOVERNMENT OF HARYANA

19/7

19-7-02
स.न.

आगे भेजा जाए

पूर्व उल्लेख

हरियाणा सरकार

~~Sanction~~ order की स्वीकृति आदेश हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

आदेश
22-7-2002
[illegible]

[illegible] सिंह यादव
22-7-2002

उ. [illegible]

~~SA~~

[illegible]
23/7

के जारी करें।

[illegible] सिंह यादव
23-7-02

[illegible] धर्मपाल शर्मा
23/7/02

~~SA~~

[illegible]
23-7-2002

जारी क्रमांक 1385-88
दिनांक 23/7/02

Sanction No 1/19-17-99. [illegible] दिनांक 19/7/02 के अनुसार श्री [illegible] कपिल. उप निदेशक का उनके G.P. खाते में जमा [illegible] 25166/- की राशि का बिल तैयार कर दिया गया है।

कृपया बिल हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

[illegible]
24/7/02

आदेश
24-7-2002
[illegible]

[illegible] सिंह यादव
24-7-02

उ. [illegible]

[illegible] 24-7-02

~~SA~~

[illegible]
24/7

[illegible]
24-7-2002

पापा तुम मत पियो शराब, मुझ को ले दो मेरी किताब ।

हरियाणा सरकार

[illegible] के स्थान से सूचना प्राप्त है कि S.B.I. [illegible]-17 के Bank Draft No. 1072
" 468682" 00000 2000 1:001072" 16 dt 7-8-2002
Rs. 25166/- प्राप्त हो [illegible] [illegible]
[illegible] श्री [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
को [illegible] Final Payment के रूप में
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]
8-8-2002
[illegible]

[illegible]
8-8-02

[illegible]
8/8/02

[illegible]
[illegible]
8/8/02

[illegible]
[illegible] 8-8-2002

GOVERNMENT OF HARYANA

565
24/5/03

हरियाणा सरकार

प्रेषक :- सहायक निदेशक
क्षेत्रीय अभिलेखागार, गुड़गावां/हिसार
1/1-2003 स्थापना/102
27/3/03

विषय :- नई सामूहिक बीमा योजना-1985 के अन्तर्गत श्री कप्तान सिंह, सेवादार-कम डी. बी. फंड मैम्बर का खाता न खोलने बारे

टिप्पणी अधिकारीगण कृपया विपक्ष का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सहायक निदेशक क्षेत्रीय अभिलेखागार गुड़गावां/हिसार ने सूचित किया है कि श्री कप्तान सिंह, सेवादार कम डी. बी. फंड मैम्बर ने दिनांक 16.5.1998 को कार्यभार ग्रहण किया था परन्तु कर्मचारी का अभी तक MGIS-1985 के अन्तर्गत खाता न खोला नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में अधिकारीगण ध्यान में लाया जाता है कि सरकार की हिदायतों के अनुसार जब भी कोई कर्मचारी सरकारी सेवा में आता है उसको GIS का खाता जहां पर कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करता है वहां से Head of Office द्वारा किया जाता है। इस बारे में पहले भी c/27 पर सूचित किया गया है इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान में लाया जाता है कि जब श्री कप्तान सिंह, कुछ समय के लिए H.Q में तब्दील हो कर आये थे तो इनको GIS नं दिया गया था परन्तु इस इस कार्यालय द्वारा GIS नं दिया गया था वह सहायक निदेशक क्षे. अभि. गुड़गावां/हिसार द्वारा किया जाना था बारे अन्य कार्यवाही जो की जानी थी

यदि अनुमति हो तो सहायक निदेशक, गुड़गावां/हिसार को GIS नं श्री कप्तान सिंह को दिया गया था वह लिखते हुए अन्य सारी कार्यवाही अपने स्तर पर करने बारे लिख दिया जाये।

कृ. सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ

स्वरीफ
4/4/03
अधी.

GOVERNMENT OF HARYANA

उप निदेशक प्रस्ताव प्राप्त अनुमोदनार्थ
निदेशक
10-4-2003

21-4-2003
शा-2

10-4-03

पाप: तुम नत पियो शराब, मुझ को ले दो मेरी किताब।

हरियाणा सरकार

बात प्रस्तुत अनुमोदन अनुसार हेतु रिकार्ड

प्रारूप हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

क्या मुख्य कार्यालय में अलाट किया जाय

क्या A/S No. गुडगांव कार्यालय में जारी नहीं रहेगा?

सचिव
24/5/03
[illegible]

22-5-2003

उपरोक्त टिप्पणी के सम्बन्ध में बताया जाता है कि A/S No. तो HQ वाला ही चल सकता है परन्तु शेष कार्यवाही उनके द्वारा की जानी है।

सचिव
24/5/03
[illegible]

कृपया नई प्रस्ताव संशोधित प्रारूप है।

24-5-03

[illegible]

ने बात हुई कि Head office द्वारा अलाट किया गया खाता नं. भी रखा जा सकता है और चाहे तो वे उनके कार्यालय की शीघ्र में नया खाता भी खोल सकते हैं। Momentum इस कार्यालय में नहीं दिया था इसलिए सचिव गुडगांव द्वारा momentum भी भिजवाया जाना है। नई संशोधित प्रारूप अनुमोदनार्थ। हस्ताक्षर मार्ग।

24-5-03

सचिव
[illegible]

24.5.03

GOVERNMENT OF HARYANA

24-5-03

जारी क्रमांक 624
दिनांक 28.5.2003

हरियाणा सरकार

आयुर्वेद/शिक्षा के प्रधान के कार्यालय हेतु विभाग के श्री राम कुमार, SA दिनांक 31-10-2003 को सेवा निवृत्त हो रहे हैं। FAS A/C number HR/AS/[illegible]-86/FAS-C-03 में रकम 11684/- की राशि जमा के [illegible] आदि। यदि अनुमोदन हो तो राम कुमार SA को रकम 11684/- की अदायगी कर दी जाये। इस की स्वीकृति देने के लिए in head of office आदि को सहायक निदेशक (प्रशा) अधिकारी है। अतः सहायक निदेशक अधिकृत के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

17-10-2003

17-10-03

E-टाईप हेतु

20-10-03

20-10-03

20/10/03

GOVERNMENT OF HARYANA

पूर्व पृष्ठ से

हरियाणा सरकार

Sanction order की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

अधीक्षक
20-10-03

कार्यालय
20-10-03

लेखाकार
20.10.03

ह. जारी करें।

20-10-03

जारी क्रमांक 1747-1750
दिनांक 20/10/2003

Sanction no. 1/19-99-Ahas/1749 dt 20-10-03 के अनुसार Pension fund, ... को 2 वर्ष 11684/- Rupees of Final Payment को स्वीकृत किया गया है।

अतः बिल स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

अधीक्षक
20-10-03

20-10-03

लेखाकार
21/10/03

21-10-03

3-2-04

D.No. 1440
13/9/04

हरियाणा सरकार

प्रेषक :- श्री रविन्द्र पुरी, आ.प्रो.
दिनांक 10/9/04

विषय :- Application for payment of accumulation under Haryana Govt. Employees Group Insurance Scheme - 1985.

टिप्पणी :
अधिकारीगण वह वि. पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

श्री रविन्द्र पुरी, सर्वेक्षक/प्रो.अ. ने अनुरोध किया है कि नई सामूहिक बीमा योजना 1985 के अन्तर्गत मैं 1-5-1986 से इसका सदस्य हूँ। मैं 58 वर्ष की आयु के बाद 30.9.2004 को सेवामुक्त हो रहा हूँ मेरे G.I.S खाते में जमा राशि का भुगतान करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में ध्यान में लाया जाता है कि कर्मचारी के GIS खाते में काटी गई राशि का विवरण Ledger Account Register में तैयार कर दिया है। उनके खाते में कुल 12842/- की राशि ब्याज सहित बनती है जिसका भुगतान किया जाना है। इस राशि के भुगतान की स्वीकृति के लिए उप निदेशक अभिलेख सक्षम अधिकारी हैं अतः यदि अनुमति हो उनके GIS खाते में जमा राशि का भुगतान कर दिया जाये।

यह अनुमोदनार्थ/Ledger Account Register हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

सहा.
17/9/04
अधी.

कृ इस राशि का स्वीकृत कर दें कि राशि 1-10-2004 से पहले की न की जावे, तथा LAR भी हस्ताक्षर भी कर दें।
कंवर सिंह यादव
17-9-04

उ.नि.अ.

रजिस्ट्री
20.9.04

कृ रसीद हेतु
21-9-04

Concurred with
So pledge marking

कृ - रसीद हेतु / ... 21-9-04

S.A.

GOVERNMENT OF HARYANA
"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

हरियाणा सरकार

गत पृष्ठ पर अनुमोदन अनुसार कृपया

स्वच्छ प्रारूप हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

सरीफ
25/9/04
अधी०

विवेक सिद्धार्थ
24-9-04

3 निदेशक

र. [illegible]
24.9.04

अनु० अ०

जारी करें।
[illegible]
24-9-04

प्रेषित
लो-2

जारी क्रमांक 1693-1697
दिनांक 27-9-2004

लो2

हे. पुनर्वास दे   हरियाणा सरकार

Sanction No. 1/19-98-Adm'1695

दिनांक 27/9/04 के आदेशानुसार श्री रविन्द्र पुरी मा. प्रो० का NGIS (Saving Fund) को राशि रुपये 12842/- का बिल तैयार कर दिया गया है

बिल हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

सरीफ
27/9/04

[illegible]
27/9/04

[illegible]

[illegible]

[illegible]
27.9.04

[illegible]
27-9-04

[illegible]
27-9-04

GOVERNMENT OF HARYANA

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

1992
28/12/04

हरियाणा सरकार।

From :- Sh. Suresh Kumar, Arya
Ex VDO

29/12/4

Subject:- Application for payment of accumulation under Haryana Govt. Employee Group Insurance Scheme. 1985.

वि॰पत्रां अधिकारीगण कृपया वि॰ पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

श्री सुरेश आर्य, भूतपूर्व वी.डी.ओ. ने अनुरोध किया है कि उन्होंने दिनांक 17-2-99 को कार्यालय से resigned किया था। मैं नई सामूहिक बीमा योजना 1985 के अन्तर्गत दिनांक 1-5-1987 से इसका सदस्य रहा हूँ मेरे GIS खाते में काटी गई राशि का भुगतान करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि कर्मचारी माह जुलाई 1997 तक मुख्यालय पर तथा इसके बाद दिनांक 17-2-99 तक डी॰ ग्रा॰ रोहतक के कार्यालय में कार्यरत रहा। कर्मचारी के GIS खाते में माह जनवरी 1999 तक राशि की कटौती की गई है। इस कटौती का विवरण Ledger Account Register, Form-11 में सहायक निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेखागार, रोहतक

शेष अगले पृष्ठ पर

GOVERNMENT OF HARYANA

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

हरियाणा सरकार

पूर्व पृष्ठ से आगे

मण्डल, रोहतक द्वारा तैयार करके मुख्यालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसके अनुसार कर्मचारी को माह जनवरी 1999 तक रुपये 2711/- की राशी देय बनती है इस राशी के भुगतान के लिए Head of office सक्षम अधिकारी है अतः यदि अनुमति हो तो श्री सुरेश आर्य, को इस राशी का भुगतान कर दिया जावे।

कृपया अनुमोदनार्थ/स्वीकृति का स्पष्ट

प्रारूप हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

सतीश
20/12/04
अधी.

कार्य निदेशक
20-12-04

3 [illegible]

के आदेशार्थ
[illegible]
20-12-04
अधीक्षक

राजबत्ती
20.12.04

[illegible] जारी क्रमांक 2282-2287
दिनांक 20-12-04

ला 2

पृ क

ला 2

GOVERNMENT OF HARYANA

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

हरियाणा सरकार।

Sanction No. 1/99-99 ... दिनांक 20/12/04 के आदेशानुसार श्री सुरेश कुमार, आर्य ... का कपये 2711/- की राशी का ... का बिल तैयार कर दिया गया है

यह बिल हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

सहायक 20/12/04

20/12/04

रामअवतार 20.12.04

20/12/04

GOVERNMENT OF HARYANA

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

हरियाणा सरकार

Dy. No. 1848
Dated 20-12-04

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

क्रं० 3/7/2002-3 एन०जी० आई० एस०
दिं० चण्डीगढ़, 17-11-04.

विषय :- अधिकारी / कर्मचारी के सरकारी सेवा में नियमित होने पर नई सामूहिक बीमा योजना- 1985 के अन्तर्गत फार्म-I तथा अधिकारी / कर्मचारी के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित पदोन्नत होने पर फार्म-II में इन्रोलमैन्ट संबंधित सूचना भेजने बारे

Sd/- 17/12/04

वि० प०

अधिकारीगण कृपया वि०प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि हरियाणा सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा स्कीम 1985 के नियम 5 (2) तथा हिदायतें क्रं० 1/23/89-1 एन०जी०आई० एस०, दिं० 2-1-90 के अन्तर्गत जनवरी को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की जी० आई० एस० की कटौती करके फार्म II में सूचना सरकार को भेजी जाया करें।

इस संबंध में यह भी ध्यान में लाया जाता है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सरकारी सेवा में ज्वाईन करने पर उनको GIS की कटौती हिदायतें क्रं० 1/5/89-1 NGIS, दिं० 13-10-89 के पैरा-3 तथा क्रं० 1/23/89-1 NGIS दि० 2-1-90 के अन्तर्गत ग्रुप-'सी' "बी" "ए" के कर्मचारियों / अधिकारियों के सरकारी सेवा में Join करने पर GIS की कटौती हिदायतें क्रं० 1/23/89-1 NGIS दिं० 2-1-90 के तहत करके फार्म-I में सूचना तथा जिन अधिकारियों / कर्मचारियों के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित पदोन्नत होने पर उनको GIS की कटौती सरकारी कर्मचारी Group Insurance Scheme-1985 के नियम 5 (2) तथा दिं० 2-1-90 के अन्तर्गत जनवरी (वर्षगांठ) से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को GIS की कटौती करके ही

GOVERNMENT OF HARYANA

निरन्तर-

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

हरियाणा सरकार

पूर्व पृ० से :-

फार्म-II में सूचना सरकार को भेजी जाया करे।

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ने यह भी सूचित किया है कि अपने अधीन सभी डी०डी०ओ० को भी सूचित करें कि वे समय पर फार्म-I व II में इन्रोलमैन्ट से संबंधित सूचना अपनी विभागाध्यक्ष को भेजते रहें और विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि सूचना चैक करने के बाद ही सरकार को अवश्य भेजी जाया करे और सरकारी सेवा में आने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों व नियमित तौर पर पदोन्नत किए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के सही आँकड़ों तथा उनकी सही की गई GIS की कटौती का सरकार को जानकारी प्राप्त हो सके।

यह भी ध्यान में लाया जाता है कि यदि अनुमोदित हो तो टि०प० की एक-२ प्रति ~~सभी~~ दो० अभिलेखागारों, अम्बाला, हिसार, रोहतक व गुड़गांव मण्डल को सूचनार्थ भेज दी जाए।

अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ।

[signature] 17/12/04 अ०ली०

क्या इस कार्यालय द्वारा के सूचना भेजी जा रही है

[signature] 17-12-04

[signature]

कृ० इस कार्यालय द्वारा 'क' के अनुसार इस तरह की सूचना नहीं भेजी गई है। कृ० इससे संबंधित

GOVERNMENT OF HARYANA

— निरन्तर —

हरियाणा सरकार

पूर्व पृष्ठ से :-

Performa's भर दिया गया है।

Performa's का DFA अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

[signature] 24/1/05

अधी०

अ० नि० संख्या 25/1/05

उ प्रि अ

[signature] 2.2.05

अधी०

हे - टाइप हेतु।

[signature] 2-2-05

[signature] 7/2/05

फ० स्वच्छ प्रतियाँ ~~अनुमोदनार्थ~~ ~~प्रस्तुत है।~~ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

[signature] 7/2/05

अधी०

[signature] 7-2-05

उ प्रि अ

[signature] 8.2.05

अधी०

है जारी करें।

[signature] 8/2/05

उ प्रि अ

जारी क्रमांक 267-268 दिनांक 9-2-2005

लो न

ल।

GOVERNMENT OF HARYANA

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

हरियाणा सरकार
Dy. No. 1637,
Dated 28-10-05

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

क्र० 3/7/2002-3 एन०जी०आई०एस०
दिनांक चण्डीगढ़, 25-10-05,

विषय :— अधिकारी / कर्मचारी के सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर नई सामूहिक बीमा योजना-1985 के अन्तर्गत फार्म-I तथा अधिकारी / कर्मचारी के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित तौर पर पदोन्नत होने पर फार्म-II में इन्रोलमैन्ट संबंधित सूचना भेजने बारे।

वि० प०

अधिकारीगण कृ० वि० प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के पत्र क्र० 3/7/2002-3NGIS दि० 25-10-05 के सन्दर्भ में सूचित किया है कि इन्रोलमैन्ट संबंधित सूचना फार्म I व II के अनुसार किसी भी अधिकारी / कर्मचारी के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित तौर पर पदोन्नत होने पर फार्म-II में इन्रोलमैन्ट संबंधित सूचना भेजी जाती है।

अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि विभाग में इस वर्ष कोई भी अधिकारी / कर्मचारी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित तौर पर पदोन्नत नहीं हुआ है। इसलिए इस विभाग की सूचना शून्य समझी जाए।

— निरन्तर

हरियाणा सरकार

गत पृष्ठ से :-

यदि अनुमति हो तो इसकी एक-एक प्रति क्षेत्रीय अभिलेखागारों अम्बाला हिसार, रोहतक व गुड़गांव को ~~भेजा~~ ~~के~~ सूचनार्थ भेज दी जाए।

अनुमोदनार्थ / आदेशार्थ।

24/11/05

अ०लि०

24-11-05

उ नि अ

25.11.05

अधि० 25-11-05

कृ० ~~स्वच्छ~~ प्रारूप की स्वच्छ प्रतियां हस्ताक्षर्थ प्रस्तुत हैं।

30/11/05

अधि०

30/11/05

उ ~~नि अ~~

30.11.05

अधी० कृ- जारी करें।

1/12/05

ल-1 जारी क्रमांक 1678-1681 दिनांक 1-12-05

GOVERNMENT OF HARYANA

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

हरियाणा सरकार।

Dy-No, 1894
Dated 20-12-05

प्रेषक,

श्री कंवर सिंह यादव, अधीक्षक।

दिनांक 19-12-2005.

विषय :- Application for Payment of accumulation under Haryana Govt, Employees Group Insurance Scheme - 1985.

वि० प०

अधिकारी गण कृपया वि० प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

इस सबंध में सूचित किया जाता है कि, श्री कंवर सिंह यादव, अधीक्षक ने अनुरोध किया है कि, नई सामूहिक बीमा योजना - 1985 के अन्तर्गत मैं ~~1985~~ 1-4-1986 से इस स्कीम का सदस्य हूँ 58 वर्ष की आयु के बाद दि० 31-12-05 को सेवा निवृत्त हो रहा हूँ। मेरे GIS खाते से काटी गई राशि का भुगतान किया जाए।

इस संबंध में ध्यान में लाया जाता है कि अधिकारी के GIS खाते में काटी गई राशि का विवरण 'Ledger Account Register' में तैयार कर दिया गया है। उनके खाते में कुल 24760/रु० की राशि Interest सहित बनती है, जिसका भुगतान किया जाना है। इस ~~भुगतान~~ राशि की भुगतान की स्वीकृति के लिए DDO सक्षम अधिकारी है। अतः यदि अनुमति हो तो उनके GIS खाते में जमा राशि का भुगतान कर दिया जाए।

कृ० अनुमोदनार्थ / Ledger Account Register हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है। प्रारूप भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

[signature] 21/12/05 अ/लि०

[signature] लिपिक 21-12-05

[signature] 3 नि० स०

[signature] 21.12.05

GOVERNMENT OF HARYANA

ह० राशि हेतु
[signature] 21-12-05

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

[signature] 22/12/05

निदेशक

हरियाणा सरकार

पूर्व पृ० सं० :–

कृ० प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षार्थ प्रस्तुत हैं।

[signature]
22/12/05

[illegible]

[illegible] order [illegible] FSS [illegible]

[illegible]

[illegible]
22-12-05

[illegible] Concerned)

[illegible]

[signature]
22.12.05

[illegible]

[illegible]

[illegible]
22-12-05

[signature]

[illegible] 2017-2021
दिनांक 22.12.05

[illegible]

हरियाणा सरकार।

Sanction 1/19-98 A&A दिनांक 22/12/05 के आदेशानुसार श्री कंवर सिंह यादव, सहायक का 415 final payment का बिल तैयार कर दिया है

कृ लिये हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है

सरोज
22/12/05

अधीक्षक (ले)

[illegible]

अधीक्षक
22/12/05 उ.नि. [illegible]

[illegible]
23.12.05

Asstt
AR
23/12/05

41

GOVERNMENT OF HARYANA

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

हरियाणा सरकार

Dy No. 2527
Dated 16-11-06

प्रेषक, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

क्र० 3/7/2002-3 एन०जी०आई०एस०
दिनांक-चण्डीगढ़, 10-11-06

विषय:- अधिकारी/कर्मचारी के सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर नई सामूहिक बीमा योजना 1985 के अन्तर्गत फार्म-I तथा अधिकारी/कर्मचारी की एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित तौर पर पदोन्नत होने पर फार्म II में इन्रोलमैण्ट सूचना भेजने बारे।

टि० प०

अधिकारीगण कृ० वि० प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के पत्र क्र० 3/7/2002-3 एन० जी० आई० एस० दि० 10-11-06 के सदंर्भ में सूचित किया है कि इन्रोलमैन्ट सैबंधित सूचना फार्म-I व II के अनुसार किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित तौर पर पदोन्नत होने पर फार्म-II में इन्रोलमैन्ट संबंधित सूचना भेजी जाती है।

अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि विभाग में इस वर्ष कोई भी अधिकारी/कर्मचारी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित तौर पर पदोन्नत नहीं हुआ है। इसलिए विभाग की सूचना शून्य समझी जाए।

यदि अनुमति हो तो इसकी एक-एक प्रति योजना अधिकारियों (...)

GOVERNMENT OF HARYANA — निरन्तर —

हरियाणा सरकार

पूर्व पृष्ठ से :-

अम्बाला, हिसार, रोहतक व गुड़गांव मण्डल को सूचनार्थ भेज दी जाए।

अनुमोदनार्थ / आदेशार्थ।

27/11/06

स०अ०-4

नोट अनुमोदन हेतु है। [illegible] निर्देशों की उपरोक्त पत्र की प्रति भेज दी जावे, तथा साथ ही उपरोक्त हिदायतों अनुसार सभी कर्मचारी / [illegible] उपरोक्त हिदायतों अनुसार सभी कर्मचारी / cadre change करने वाले कर्मचारियों का [illegible] उपायुक्त सम्बन्धी सूचना Chief Secretary को भेजी गई है या नहीं check करके रिपोर्ट करें के आदेश दे दिये जावें।

अनुमोदनार्थ / आदेशार्थ

28.11.06

28/11/06

अ०स० आदि

28/11/06

GOVERNMENT OF HARYANA

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

हरियाणा सरकार

कृ० अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि श्री सुन्दर लाल, सेवादार 31-12-06 को सेवा निवृत हो गए हैं इसलिए उनका GIS से संबंधित Ledger Account Register में Amount and Details complete कर दी गई है। उनका GIS का Saving Fund Rs. 4202/- ब्याज सहित बनती है तथा ~~इस~~ Ledger Account Register में ~~हस्ताक्षर करवा~~ तैयार कर दिया है, जिस राशि का उनको भुगतान किया जाना है। इस राशि के भुगतान की स्वीकृति के लिए उप निदेशक अभिलेख सक्षम अधिकारी है, अतः यदि अनुमोदित हो तो उनके GIS खाते में जमा राशि का भुगतान कर दिया जाए।

अनुमोदनार्थ Ledger Account Register हस्ताक्षरार्थ व प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

[signature]
4/1/07
स० हा०

अधीक्षक
4-1-07 ~~उप अधि~~

[signature]
4.1.07

[signature] AR
Pl. T[?] the draft
85 ~~[illegible]~~
4/1/07 4
~~प्रारूप की दो प्रतियाँ~~
~~प्रतियाँ~~
नि० र० नर

GOVERNMENT OF HARYANA

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

हरियाणा सरकार

पूर्व पृ० से :—

कृ० प्रारूप की २ कम्प्यूटर प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

Sd/-
4/1/07
सहा०

अधीo
4-1-07
उ.अ. आग्ने

Rajwanti
4.1.07

[illegible] AR 4-1-07

कृ. जारी करें।
Despatch
4

जारी क्रमांक 10 – 14
दिनांक 4-1-2007

Sanction No. 11/19-99-AGC/10/014 dated 4-1-07 के आदेशानुसार श्री सुन्दर लाल, सेवादार का GIS Final Payment का bill तैयार कर दिया है।

कृ० बिल प्रस्तुत है।

Sd/-
4/1/07 सहा०

अधीo
8-1-07
उ.अ. आगे

Sd/-

Sd/-

२ राजवन्ती
8.1.07

GOVERNMENT OF HARYANA

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

पूर्व पृष्ठ से :-

हरियाणा सरकार

अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है, कि गत पृष्ठ 41-42 N के संदर्भ में विभाग में इस वर्ष 4% से संबंधित जो कोई अधिकारी / कर्मचारी के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित तौर पर पदोन्नत होने पर फार्म-II में इन्वोलमेन्ट संबंधी सूचना भेजी जानी है। पृष्ठ-N-42 पर मौलिक की टिप्पणी के अनुसार चैक कर लिया गया है, निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारियों की 4% से संबंधित सूचना मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रं 3/7/2002-3 4%, दि० 10-11-06 के ~~संदर्भ में~~ सरकार को भेजी जानी है। ताकि 4% कटौती संबंधी सूचना सरकार की हिदायतों के अनुसार उन्हें पता लग सके।

	नाम	ग्रुप	दिनांक
1.	श्रीमती राजवन्ती मान, उपनिदेशक अभिलेख	-C- से A ग्रुप में	1-1-1990 to 31-12-2003, 23-1-04, 1-1-04
2.	श्री सत्यनारायण, रिकार्ड अटैंडेंट।	IV - 'D' III - 'C'	1-4-87 से 20-7-04 21-7-04 1-1-05 4% कटौती
3.	श्री हरिया सिंह, चालक।	IV - 'D' III - 'C'	1-4-87 to 31-12-02 1-1-2003
4.	श्री चन्द्रभान, बाईण्डर।	IV - 'D' III - 'C'	1-1-91 to 31-12-99 1-1-2000
5.	श्री चरण सिंह, बाईण्डर।	IV - 'D' III - 'C'	1-4-86 to 31-3-89 1-4-89
6.	श्री मोहन लाल, क्लर्क	IV - 'D' III - 'C'	1-4-87 to 31-12-99 1-1-2000

GOVERNMENT OF HARYANA — निरन्तर —

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

पूर्व पृष्ठ से :- **हरियाणा सरकार।**

क्र० पोड की कटौती की सूचना जो अधिकारी / कर्मचारी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में पदोन्नत हुए हैं, उनकी सूचना फार्म - II में भर दी गई है। इन सभी की सूचना सरकार को भेज दी जाए।

अधिकारीगण कृ० फार्म - II पर भी हस्ताक्षर करने की कृपा करें तथा हिदायतों की प्रति भी सभी डी० आई० ओ० / मण्डल कार्यालयों Ambala, Hisar, Rohtak & Gurgaon को भी भेज दी जाए।

फार्म - II की व हिदायतों की ~~स्वच्छ~~ प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं। डी० ए० एच० ए० अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

[signature] 3/1/07

सहा०

[signature] 6-2-07

[signature] 7.2.07

[signature] 7-2-07

ड्राफ्ट करें।

[signature]

A.T. [illegible] draft [signature] 28-2-07

[signature] 1/3/07

कृ० प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

[signature] 5/3/07 स० - I

GOVERNMENT OF HARYANA

आगे पृष्ठ ५२

पूर्व पृष्ठ से

हरियाणा सरकार

प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

अधीक्षक
6-3-07
~~3-3-07 आगे~~

राज्य मंत्री
8/3

AK
8-3-07

कृ. जारी करें।

~~Despatch~~

जारी क्रमांक
No. 239
8-3-2007

कृ० जो पत्र साथ में लगे हुए हैं उनपर भी Despatch No. लगा है।

Signature
12/3/07 Despatch.

जारी क्रमांक 304-307
दिनांक 21.3.2007

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

हरियाणा सरकार।

कृ० अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि श्री अजीत कुमार, गार्ड/फोटो कापिस्ट ~~का स्व~~ GIS का खाता ~~नं०~~ खोल दिया गया है। श्री बलवान सिंह, पीयन के बाद इनका नं० आता है। इसलिए श्री अजीत कुमार का GIS का खाता नं० HR/MC/Wb/08/200/GIS-C-52 है।

अत: ~~खाता~~ GIS खाता नं० Allot करने के लिए ~~सूचना~~ सूचना Form भी भर दी गई है। खाता नं० Allot करने के लिए प्रारूप अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है। यदि अनुमति हो तो यह सूचना मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भी भेज दी जाए। अनुमोदनार्थ/DFA भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

[signature]
26/4/07
सहा०-I

अधी०
27-4-07
3-1 के अधी०

[signature]
30.4.07

[signature]

[signature]
1-5-07

[signature] [illegible] draft
1/5/07

प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

[signature]
1.5.07 सहा-I

अधी०
2-5-07
3-1 के अधी०

[signature]
2.5.07

[signature] [signature] 3-5-07

प्रेषित क्रमांक 684
दिनांक 3-5-2007

GOVERNMENT OF HARYANA
"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

[illegible] [signature]

हरियाणा सरकार

उ० अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है, कि श्री शिवलाल, G.O, दिनांक 31-5-07 को सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। इसलिए उनका GIS से संबंधित Ledger Account Register में Amount की Details complete कर दी है। उनका GIS का Saving Fund Interest सहित Rs. 16700/- बनते हैं तथा Ledger Account Register में तैयार कर दिया है। जिस राशि का भुगतान किया जाना है। इस राशि के भुगतान की स्वीकृति के लिए उपनिदेशक अभिलेखन सक्षम अधिकारी हैं। अतः यदि अनुमोदित हो तो उनके GIS खाते में जमा राशि का भुगतान कर दिया जाए। बिल तैयार कर दिया गया है। अनुमोदनार्थ/ Ledger Account Register प्रस्तुत है। हस्ताक्षरार्थ व प्रारूप अनुमोदनार्थ

24/5/07

सहा०

अधीक्ष
24-5-2007

उ० नि० आ०

Rajwanti
24/5/07

Acctt

AR
25-5-07

P.A. Type the draft
28/5/07

दिनांक
उ० प्रारूप की स्वच्छ प्रति हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

28/5/07
सहा०

अधीक्ष
28-5-07

उ० नि० उपाधि

Rajwanti
28/5/07

Dispatch

47

प्रपत्र जारी कर दें

AR 28-5-07

जारी क्रमांक 745-749
28/5/2007

-50

हरियाणा सरकार।

Dy. No. 913

Dated 28-6-07

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पत्र क्र० 3/7/02-3 एस०जी०आई० एस०

दिनांक 26-6-07.

विषय:- अधिकारी/कर्मचारी की एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित पदोन्नति होने पर फार्म-II में संबंधित सूचना भेजने बारे।

वि० प०

अधिकारीगण कृ० वि प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

इस संबंध में ध्यान में लाया जाता है कि श्री चरण सिंह, अ०ि०जी पदोन्नति 2-5-1989 से हुई, GIS के रजिस्टर चैक करने पर पाया गया कि GIS की कटौती April ~~1989~~ 1989 से ~~होनी~~ ही हुई है। जबकि जनवरी-1989 भर दी गई थी संबंधित रिपोर्ट चैक करने हेतु Enrolment Form-2 में भर दी गई है।

अनुमोदनार्थ/ आदेशार्थ/ DFA

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

[signature]
5/7/07 ~~स-I~~

अ०अ०
26-7-07 ~~उ० अ०~~

[signature]
26/7

[signature] AK
26-7-07

[signature] Put up the draft

SS
31/7/07

[signature] प्रारूप की स्वच्छ प्रतियां हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।
2/8/07 स-I

GOVERNMENT OF HARYANA

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

2
आगे देखें पृष्ठ

पूर्व पृष्ठ से

हरियाणा सरकार

प्रारूप की 2000 प्रतियाँ छपने हेतु प्रस्तुत हैं।

3/8/07
3-8-07
उ.नि.-अ.

6/8/07

प्रेषित
AK 6-8-07
जारी क्रमांक 986
दिनांक 7-8-07

डी. ड्राफ्ट करें।

GOVERNMENT OF HARYANA

"KEEP HARYANA CLEAN & POLLUTION FREE"

हरियाणा सरकार

कृपया अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि श्री अशोक कुमार, अधीक्षक दि० 29-2-2008 को सेवा से निवृत हो रहे हैं इसलिए उनका GIS से संबंधित Ledger Account Register में Amount of Details Interest सहित complete कर दी गई है। Interest समेत राशि 17948/-रु० बनते हैं। जिस राशि का भुगतान किया जाना है। इस राशि के भुगतान हेतु उपनिदेशक, अभिलेख सक्षम अधिकारी हैं। अतः यदि अनुमोदित हो तो उनके GIS खाते में जमा राशि का भुगतान कर दिया जाए।

अनुमोदनार्थ / Ledger Account Register हस्ताक्षरार्थ / प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

28/2/08

अधी०

29.2.2008

उ० नि० अभि०

4/3/08

5/3/08

कृ० टाईप हेतु।

Asstt.

7/3/08

कृपया स्वच्छ प्रारूप हस्ताक्षरार्थ।

कुमार
7/3/08

DAA

7.3.08

कृपया जारी करें।

कुमार
7/3/08

जारी

No. 1899-1903

7/3/2008

हरियाणा सरकार

कृपया अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि श्री करिया सिंह, चालक दि० 31-3-2008 को सेवा से निवृत्त हो गए हैं। इसलिए उनका GIS से संबंधित Ledger Account Register में Amount की Details Interest सहित Complete कर दी गई है Interest समेत राशि 8947/- रु० बनते हैं जिस राशि का भुगतान किया जाना है। उस राशि के भुगतान हेतु उप निदेशक अभिलेख सक्षम अधिकारी है। अतः यदि अनुमोदित हो तो उसके GIS खाते में जमा राशि का भुगतान कर दिया जाए।

अनुमोदनार्थ Ledger Account Register हस्ताक्षर/प्रारूप भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
Sanction की स्वच्छ प्रति हस्ताक्षर प्रस्तुत है।

4/4/08
8

ASH

10/4/08

Rajwanti
11.4.08

स्वीकृत आदेश जारी करें

कुमार
11/4/08

Desp.
L/

जारी क्रमांक 2295-98
11/4/08

हरियाणा सरकार

Dy. No. 2498 Dated 28-3-08

प्रेषक, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेखागार, हिसार मण्डल, हिसार।

यादी क्र० 1/1-2005-हि० म०अ०/44

दिनांक हिसार, 14-3-08,

विषय:- नई सामूहिक बीमा योजना-1985 के अन्तर्गत नम्बर अलाट करने बारे।

वि०प०

अधिकारीगण कृ० वि०पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि श्री रणबीर सिंह, सहायक अभिलेखापाल के पद पर हिसार कार्यालय में 08-9-07 को कार्यभार ग्रहण किया था तथा कर्मचारी का GIS इसी महीने से कट जा रहा है। उन्होंने GIS No. Allot करने का अनुरोध किया है। GIS No. Allot करने व इससे संबंधित सभी कार्यवाही Head of office स्तर पर ही की जानी है।

यदि अनुमोदित हो तो उनके मूल दस्तावेज वापिस करते हुए उन्हें इस स्थिति से अवगत करवा दिया जाए।

अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ।

(Signature) 6/5/08

अधी०-

(Signature) 6/5/08

उ०नि०

राजवन्ती 6/5

(Signature)

(Signature) 12/5/08

कृ० DFA अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(Signature) 12/5/08

(Signature) 13/5/08

उ०नि०

राजवन्ती 15/5

(Signature) 15/5/08 राईस हेतु।

(Signature) 21/5/08 Supdt.

हरियाणा सरकार

मुख्य सचिव -

[illegible]

23/5/08

उ.प्र.अ

26/5

पत्र जारी करें

26/5/08

Desp. L.T.

SHIS NO 2572
27/5/2008

[illegible]

GOVERNMENT OF HARYANA

"KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE"

हरियाणा सरकार

Ry. No. 2190, ~~2196~~

Dated 26-2-08.

प्रेषक, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

— सम —

क्र० 3/7/2002-3 एन.जी.आई.एस.

दिनांक चण्डीगढ़ 18-2-08.

— सम —

विषय:— अधिकारी/कर्मचारी के सरकारी सेवा में नियुक्त होने पर गई सामूहिक बीमा योजना 1985 के अन्तर्गत फार्म-I तथा अधिकारी/कर्मचारी की एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित तौर पर पदोन्नत होने पर फार्म II में इनरोलमैन्ट से संबंधित सूचना भेजने बारे।

— सम —

द० प०

अधिकारीगण कृ० वि०प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के पत्र क्र० 3/7/2002-3 एन.जी.आई.एस. दि० 18-2-08 के संदर्भ में सूचित किया है कि इनरोलमैन्ट संबंधित सूचना फार्म-I व II के अनुसार किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित तौर पर पदोन्नत होने पर फार्म-II में इनरोलमैन्ट सूचना भेजी जाती है।

अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि विभाग में इस वर्ष ~~कोई भी~~ ~~अखिलेश पाल के पद पर~~ श्रीमती शकुन्तला भार्गव, अखिलेशपाल के पद (श्रेणी-III) से सहायक निदेशक, (श्रेणी-II) के पद पर Jan-08 पदोन्नत हुई, श्री विधानन्द, D.B-cum-Member (श्रेणी-IV) से (श्रेणी-III) के पद पर माह April-08 में पदोन्नत हुआ तथा श्री राजकुमार, सहायक (श्रेणी-III) से (श्रेणी-II) पर अधीक्षक के पद पर April-08 में पदोन्नत हुआ है।

अतः इस संबंध में ध्यान में लाया जाता है। कि इस संबंध में इनरोलमैन्ट संबंधी सूचना ~~एक~~ ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ~~अ~~ नियमित तौर पर पदोन्नत होने पर यह सूचना अगले वर्ष भेजी जानी है। क्योंकि GIS की कटौती जनवरी-09 को ही काटी जानी है।

पूर्व पृष्ठ से:— हरियाणा सरकार

अतः यदि अनुमोदित हो तो इसकी एक-एक प्रति क्षेत्रीय अभिलेखागार, अम्बाला, हिसार, रोहतक व गुड़गाँव को भी भेज दी जाए।

अनुमोदनार्थ आदेशार्थ / प्रारूपसी हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

[signature] 30/5/08

Supdt.

[signature] 3/6/08

उ नि अ

[signature] 3/6

अधी० तैयारी करें।

[signature] 3/6/08

[signature] 4-6

जारी 4/6/08
No 2644-47
4/6/2008

हरियाणा सरकार

कृ० अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि विभाग के श्री अनिल कुमार, सहायक अभिलेखपाल का GIS का खाता खोल दिया गया है। श्री अजित कुमार, Microphotographist के बाद श्री अनिल कुमार, सहायक अभिलेखपाल का न० आता है, इसलिए अनिल कुमार, का खाता न० HR/Archives/2008/GIS/C/53 है।

अतः श्री अनिल कुमार, सहा० अभिलेखपाल का GIS खाता नं० Allot करने के लिए सूचना Form में भर दी गई है। यदि अनुमोदित होतो खाता न० Allot करने के लिए सूचना मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को भेज दी जाए।

अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ/ प्रारूप भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

16/9/08 अधी०

कुमार 17/9/08

उ० नि० अ०

Rajwanti 18/9/08

श्री कृपया टाईप हेतु।

Steno Asstt-I 22/9/08 कुमार 18/9/08

कृ० प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

24/9/08 अधी०

कुमार 24/9/08

उ० नि० अ०

Rajwanti 29/9/08

जारी No 3431 29/9/08

कृ० जारी करें।

कुमार 29/9/08

Desp Asstt

GOVERNMENT OF HARYANA

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

हरियाणा सरकार
Dy. No. 4137
Dated 1-12-2008

~~प्रेषक~~ From

The Chief Secy. to Govt. Haryana

Memo No. 3/13/2008-3NGIS
Dated Chd., the 21-11-08

Subj: Sending of GIS A/c No. & Nominations of Haryana Govt. Employees.

कि० प०

अधिकारीगण कृपया कि० प० का अवलोकन करने का कष्ट करें। मुख्य सचिव, हरियाणा के पत्र क्र० 3/13/2008-3-NGIS, दि० 21-11-08 के अन्तर्गत सूचित किया गया है कि श्री अनिल कुमार, स० अ० ओ० पाल का GIS खाता नं० Allot करने के लिए मुख्य सचिव हरियाणा को सूचना Form में भर कर भेजी गई थी। उसी original documents के साथ वापस भेज दिया गया है। उनके कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होनी है।

क० अनुमोदनार्थ/सूचनार्थ प्रस्तुत है।

12/3/09 अ० प्र०

18/3/09

उ० नि० अ०

25/3

26/3/09

Asstt - III

referencing and placed as
18/3/09

CP-139-140
N-58
referencing कर दी है।
18/3/09
अ० प्र०

हरियाणा सरकार

Dy. No. 3315
Dated 4-9-08

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

क्रमांक 317/2002-3 एन०जी०आई०एस०
दिनांक चण्डीगढ़, 26-8-08,

विषय:— अधिकारी/कर्मचारी के सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर नई सामूहिक बीमा योजना-1985 के अन्तर्गत फार्म-I तथा अधिकारी/कर्मचारी के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित पदोन्नत होने पर फार्म-II में इन्रोलमैन्ट संबंधित सूचना भेजने बारे।

वि० प०

अधिकारीगण कृ० वि० प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

इस संबंध में ध्यान में लाया जाता है कि विभाग कोई अधिकारी/कर्मचारी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित पदोन्नत होने पर फार्म-II में इन्रोलमैन्ट संबंधी सूचना भेजी जाती है, जो भी अधिकारी/कर्मचारी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आता है सरकार की हिदायतों अनुसार GIS की कटौती की सूचना उन्हें भेजी जानी होती है ताकि हिदायतों अनुसार उन्हें पता लग सके। जो कर्मचारी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आये हैं उनका विवरण इस प्रकार है।

नाम	ग्रुप	रिमार्क
1. श्री राजू कुमार अधीक्षक	—C— से	15-5-1990 से (Group C) 31-12-2008 तक में
	—B— ग्रुप में	Promoted as Supdt. 8-4-2008 को (Group B) 1-1-2009 (में कटौती)
2. श्री बिशम्बर, चालक	—D— से	7-5-1998 से 31-12-08 to Group D
	—C— ग्रुप में	1-4-08 Promoted as driver 1-1-2009 (GIS की कटौती)

श्रीमति मृदुला भार्गव, की सूचना गुड़गांव कार्यालय से है। भेजी जाएगी।

हरियाणा सरकार

पूर्व पृष्ठ से।

कृपया GIS की कटौती की सूचना जो अधिकारी/कर्मचारी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में पदोन्नत हुए है उनकी सूचना फार्म-II में भर दी गई है उन की सूचना सरकार को भेज दी जाए।

क्र० फार्म-II ~~की एक~~ प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(signature) 24/4/09 अ०लि०

(signature) 24/4/09

उ०स०

Rajwant 29.4.09

SA कृ टाईप करें। (signature) 29/4/09

Supdt A&H-III

475/09

कृपया प्रारूप की स्वच्छ प्रतियां हस्ताक्षर्थ प्रस्तुत है।

(signature) 5/5/09 अ०लि०

(signature) 5/5/09

उ०स०

Rajwant 8/5

SA कृ जारी करें। (signature) 8/5/09

Supdt A&H-III

Issued No 846 Dated 11-5-2009

— 62 —

हरियाणा सरकार

Dy-No. 1860

Dated 18-10-10

जय हिन्द

प्रेषक,

सहायक निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेखागार रोहतक मण्डल, रोहतक।

पत्र क्र० 2/1-2007-RDA/104
दिनांक: रोहतक 24-9-10

विषय :- Application for Payment of accumulation under Haryana Govt. Employees Group Insurance Scheme-1985.

वि०प०

अधिकारीगण, कृ० वि०प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सहायक निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेखागार, रोहतक मण्डल, रोहतक के पत्र दि० 24-9-10 के अन्तर्गत सूचित किया है कि श्री सदानन्द, सहायक अभिलेखपाल, दि० 30-9-2010 को सेवा निवृत हो गए हैं, उनका G.I.S. से संबंधित Payment interest सहित रु० 22662/- बनती है। जोकि तैयार कर दी गई है। जिस राशि का भुगतान किया जाना है, उक्त राशि के भुगतान हेतु उप निदेशक अभिलेख सक्षम अधिकारी है।

अतः अनुमोदन हो तो कर्मचारी के G.I.S खाते में जमा राशि का भुगतान कर दिया जाए।

अनुमोदनार्थ/प्रारूप की स्वच्छ प्रतियां हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

(हस्ताक्षर)
16/11/10 अ०प०

(हस्ताक्षर)
16/11/10

जारी क्रमांक 3090 से 3091
दि० 22-11-2010

कृ जारी करें

Rajwanti
19.11.10

15/11/10

GOVERNMENT OF HARYANA
CONSERVE WATER – SAVE LIFE.

हरियाणा सरकार

जय हिन्द

प्रेम U06 से

श्री सदानन्द कार्यकारी अभियन्ता
R 226624 की

का GIS फाइनल Final Payment का Bill प्राप्त
हो गया

ह० हस्ताक्षर प्रस्तुत है।

[illegible]

24/11/2010

अधि० (लेखा)

D DA

Rajwanti
24/11/10

[illegible]
6/12/10

SA

Asstt I

GOVERNMENT OF HARYANA

CONSERVE WATER – SAVE LIFE

हरियाणा सरकार

जय हिन्द

Dy. No. 959

Dated 30-5-2011

प्रेषक, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

क्र० 3/7/2002-3 एम जी० आई० एस०
दिनांक, चण्डीगढ़ 23-5-2011

विषय :- अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी सेवा में नियुक्त होने पर नई सामूहिक बीमा योजना-1985 के अन्तर्गत फार्म-I तथा उनके एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित पदोन्नत होने पर फार्म-II में इनरोलमैन्ट संबंधित सूचना भेजने बारे।

टि०प०

अधिकारीगण कृ० वि०प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ने विषयाधीन के संदर्भ में सूचित किया है कि इनरोलमैन्ट संबंधित सूचना फार्म-I व II के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित तौर पर पदोन्नत होने पर फार्म-II में इनरोलमैन्ट संबंधित सूचना भेजी जाती है।

कृ० अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि विभाग में इस वर्ष कोई भी अधिकारी/कर्मचारी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित तौर पर पदोन्नत नहीं हुआ है। इसलिए विभाग की सूचना शून्य समझी जाए।

निरन्तर

GOVERNMENT OF HARYANA
CONSERVE WATER – SAVE LIFE

हरियाणा सरकार

जय हिन्द

पूर्व पृष्ठ से।

यदि अनुमति हो तो इसकी एक-२ photo copy क्षेत्रीय अभिलेखागारों अम्बाला, हिसार, रोहतक एवं गुड़गावं को सूचनार्थ भेज दी जाए।

अनुमोदनार्थ/ आदेशार्थ

[signature] 1/6/11 अ० अ०

[signature] 1/6/11

उ० नि०

Rajwanti 6/6

SA

[signature] 6/6/11

ASST-II

कृपया प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

[signature] 7/6/11 अ० अ०

[signature] 7/6/11

उ० नि०

Rajwanti 10/6

SA को जारी करें

प्रारू.नि.

DESP

ASST-II

[signature] 10/6/11

जारी क्रमांक 888 से 889

दि० 13-6-2011

हरियाणा सरकार

Dy. No. 1066

Dated 21-6-2011

प्रेषक,

श्रीमति स्वीटी गुप्ता,
सहायक।

दिनांक 20-6-2011

विषय :- GIS Account No. HR/Archives/91-GIS/C-41 में Nomination change करवाने बारे।

वि० प०

अधिकारीगण कृ० वि० प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

श्रीमति स्वीटी गुप्ता, सहायक ने GIS Account No. HR/Archives/91-GIS/C/41 में नोमिनेशन बदलने बारे अनुरोध किया है, कर्मचारी ने GIS Account में Late Sh. Chamanlal के स्थान पर अपने दोनों बच्चे (आशीष व गौरव) को नोमिनेशन करने बारे वि० प० के साथ सलंग्न प्रोफार्मा में भर दिया है।

बीमा योजना 1985 के नियम 19.7 के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी गई है।

अतः विभाग के लिए केवल सूचनार्थ File हेतु।

Rajwati (?) 21/6/11 अधी०

कृ० श्रीमति स्वीटी गुप्ता, सहायक ने GIS में लिए पहला नोमिनेशन को निरस्त करके अपने पुत्रों आशीष व गौरव को नोमिनेट करने का अनुरोध किया है अतः इन को नोमिनेशन बदलने की अनुमति देने हेतु अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

[signature] 22/6/2011

उनि०

Rajwati 22/6

[signature] 22/6/11

Asstt. [signature]

GOVERNMENT OF HARYANA

CONSERVE WATER – SAVE LIFE

हरियाणा सरकार

Dy. No, 1480

Dated 22-9-2011

प्रेषक : सहायक निदेशक क्षेत्रीय अभिलेखागार अम्बाला मण्डल, अम्बाला शहर

यादी क्र० 311-92-रा०अ०/पार्ट-2/258, दिनांक अम्बाला 20-9-2011

विषय :- श्री महावीर सिंह मान सहायक निदेशक की सेवानिवृत्ति पर G.I.S की अदायगी की सेंस्वीकृति भेजने बारे।

वि०प०

अधिकारीगण कृ० वि० प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सहायक निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेखागार अम्बाला मण्डल, अम्बाला ने अपने पत्र में सूचित किया है कि श्री महावीर सिंह मान सहायक निदेशक जो कि दिनांक 30-9-2011 को सेवा निवृत हो रहे हैं। उन्होंने GIS की अदायगी की राशि रू० 37632/- की सेंस्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया है। GIS की वर्ष 2011-12 की Statement भी संलग्न करके भेजी है, अधिकारी को Interest सहित राशि 37632/- रू० का भुगतान किया जाना है। इस राशि के भुगतान हेतु उप निदेशक अभिलेख महोदया सक्षम अधिकारी है।

GOVERNMENT OF HARYANA — निरन्तर

CONSERVE WATER - SAVE LIFE

-68-

हरियाणा सरकार

जय हिन्द

पूर्व पृष्ठ से:

अतः यदि अनुमोदन हो तो श्री महाबीर सिंह मान, सहायक निदेशक को उनके G.I.S खाते में जमा राशि 37632/रु० का भुगतान कर दिया जाये।

कृ० अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ/ प्रारूप भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

26/9/11 अधी०

अधीक्षक 29/9/11

Rajwanti 30/9

SA कृ डाईप हेतु।

Stenu Asstt-II 7/10/11

30/9/11

कृपया प्रारूप की स्वच्छ प्रतियां हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

7/10/11 अधी०

अधीक्षक 10/10/11

Rajwanti 12/10

SA हो जारी करें।

Desp Asstt-I 12/10/11

जारी क्रमांक 1555-60

दिनांक 12/10/2011

GOVERNMENT OF HARYANA

CONSERVE WATER - SAVE LIFE

हरियाणा सरकार

Dy. No. 1599

Dated 18-10-11

जय हिन्द

प्रेषक,

सहायक निदेशक, जीवित अभिलेखागार अम्बाला मण्डल, अम्बाला शहर।

यादी क्र० 311-92-अ०म०अ०/221 दिनांक अम्बाला 08-8-2011

विषय:- अधिकारियों/कर्मचारियों की सरकारी सेवा में नियुक्त होने पर नई सामूहिक बीमा योजना-1985 के अन्तर्गत फार्म-I तथा एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित पदोन्नत होने पर फार्म-2 में इन्रोलमैन्ट सम्बन्धित सूचना भेजने बारे।

वि०प०

अधिकारीगण क्र० वि० प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सहायक निदेशक, अम्बाला के पत्र दि० 8-8-11 के संबंध में सूचित किया है कि, उनके कार्यालय में वित्त वर्ष 2010-2011 में न कोई नया कर्मचारी नियुक्त किया गया है और न ही पदोन्नत हुआ है। इसलिए विषयाधीन के संदर्भ में उनकी सूचना शून्य समझी जाए।

विभाग को लिए कोई सूचनार्थ

File हेतु।

[signature] 18/10/11 [signature] अधि०

[signature] 18/10/11

Rajwanti 20/10

[signature] 21/10/11

[signature]

1/19-99

हरियाणा सरकार

Dy. No. 502

Dated 29-3-2012

जय हिन्द

From

Sh. Babu Lal, Archivist

Date 29-3-12.

Sub:- Application for Payment of accumulation under Haryana Govt. Employees Group Insurance Scheme, 1985.

वि० प०

अधिकारीगण कृपया वि० प० का अवलोकन करने का कष्ट करें,

श्री बाबू लाल, अभिलेखपाल ने अपने पत्र दिनांक 29-3-12 में सूचित किया है कि वे दिनांक 31-3-2012 को सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने GIS की Final Payment की अदायगी करने बारे अनुरोध किया है।

कृपया अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि कर्मचारी की Final Payment Rs. 23764+1948 Intrest = 25712/- की राशि बनती है। उनका GIS से संबंधित Ledger Account Register में Amount की Detail Interest सहित तैयार कर दी गई है। उक्त राशि का भुगतान किया जाना है। इस राशि के भुगतान हेतु उपनिदेशक अभिलेख सक्षम अधिकारी हैं।

अतः यदि अनुमोदन हो तो उनके GIS खाते में जमा राशि का भुगतान कर दिया जाए।

प्रा० अनुमोदनार्थ/ Ledger Account Register हस्ताक्षरार्थ/ प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सही/

19/4/12 Meelo

Pl. retype
[illegible]
27/4/12
~~Sr. Asstt.~~
[illegible] 1/5/12

निरन्तर —

GOVERNMENT OF HARYANA

CONSERVE WATER – SAVE LIFE

हरियाणा सरकार

जय हिन्द

पूर्व पृष्ठ से :-

कृ० Draft पुनः स्वच्छ रूप में Retype करवा लिया गया है। प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

स्वीटी
1/5/12

अधी० :
अनि०

[illegible]
1/5/12

Rajwanti
2/5

SA कृ. जारी करें

Jagdr ~~Desp~~
~~Assistant~~

[illegible]
2/5/12

क्रमांक नं० 648 to 653
जारी दिनांक 2/5/2012 [illegible]

हरियाणा सरकार

जय हिन्द

अधिकारी गण के ध्यान में लाया जाता है कि श्री ~~[illegible]~~ बाबूलाल अनिल [illegible] w/s की Final Payment का Bill TO Panchkula ने objection लगा कर भेजा है कि DDO की Sanction जारी करवायें। DDO ... इस राशि की आहरण [illegible] DDO आहरण अधिकारी हैं।

Sanction का प्रारूप [illegible] प्रस्तुत है

अनुमोदनार्थ

राममेहर
16/5/2012
अधि (लेखा)

ADA जानकारी कहां है।

[signature] 16/5/12

Asstt-I

~~अधिकारी~~ गण के ध्यान में लाया जाता है कि श्री बाबूलाल के w/s की final payment के बिल में Sanction लगा दी है अतः ~~यदि अनुमति हो तो~~ उपरोक्त बिल रु. 25712/- को पुनः खजाना ~~भेज दिया जाए~~। अनुमोदनार्थ हित प्रस्तुत है।

[signature] 23/5/12 सहा.। राममेहर 23/5/2012 अधि (ले) ~~ADA~~

[signature] 23/5/12

Asstt-I

हरियाणा सरकार

Dy No- 1112

Dated- 7/8/2012

जय हिन्द

प्रेषक :-

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार।
क्रमांक 3/7/2002-3 एन०जी० आई० एस०
दिनांक, चण्डीगढ़ 31-07-2012

विषय :- अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर नई सामूहिक बीमा योजना-1985 के अन्तर्गत फार्म-1 तथा उनके एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित पदोन्नत होने पर फार्म-II में इन्रोलमैंट संबंधित सूचना भिजने बारे।

वि० प०

अधिकारीगण कृ० वि०प० का अवलोकन करने का कष्ट करें,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के पत्र दि० 31-7-2012 के अन्तर्गत सूचित किया है कि विभाग का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित पदोन्नत होने पर फार्म-II में इन्रोलमैन्ट संबंधी सूचना भेजी जाती है। जो भी अधिकारी/कर्मचारी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आता है सरकार की उक्त हिदायतों अनुसार GIS की कटौती की सूचना उन्हें भेजी जानी है ताकि हिदायतों अनुसार उन्हें पता लग सके।

जो कर्मचारी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आया है उसका विवरण इस प्रकार है:—

नाम	ग्रुप	दिनांक
1. श्री किरोडी मल, लिपिक	-D- -C-	27-4-1987 से 16-1-2012 Group-D में 17-1-2012 से Promotion द्वारा ग्रुप-C में

हरियाणा सरकार

जय हिन्द

पूर्व पृष्ठ से

कृपया GIS की कटौती की सूचना जो कर्मचारी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में पदोन्नत हुआ है उसकी सूचना फार्म-II में भर दी गई है।

अतः यदि अनुमोदन हो तो श्री किरोडीमल लिपिक की एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आने पर सूचना सरकार को भेज दी जाए।

कृप्र प्रारूप व फार्म-II अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत हैं।

स्वीटी
29/8/12

अधी०

उ०नि०अ०

29/8/12

SA

Rajwanti
3/9/12

4/9/12

Asstt-II

कृ० Type हेतु

स्वीटी
5/9/12

Steno
6/9/12
Asstt-II

कृपया प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

Pl. Retype the draft
8/9/12

8/9/12

अधी०

उ०नि०अ०

10/9/12
Steno
Asstt

11/9/12

11/9/12

अधी०

Pl. Retype

13/9/12

Rajwanti
13/9

SA
द० जारी करें

13/9/12

13/9/12

Steno
Asstt-II

जारी क्रमांक 1303
दिनांक 14/9/2012
Anil Kumar

Desp

GOVERNMENT OF HARYANA
CONSERVE WATER – SAVE LIFE

हरियाणा सरकार
Dy. No. 1318
Dated 4-9-12

प्रेषक

सहायक निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेखागार, अभिलेखागार विभाग, गुड़गांव मण्डल, गुड़गांव।

क्र० 2/6/2008-जी.आई.एस./1164
दिनांक गुड़गांव 27-8-12

विषय:— श्रीमति इन्दुला भार्गव, सहायक निदेशक की सेवा निवृति पर GIS की अदायगी की संस्वीकृति भेजने बारे।

टि० प० अधिकारीगण कृ० वि० प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सहायक निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेखागार ~~गुड़गांव~~ मण्डल, गुड़गांव ने अपने पत्र दि० 27-8-12 के अन्तर्गत सूचित किया है कि श्रीमति इन्दुला भार्गव, सहायक निदेशक जो कि दिनांक 31-8-2012 को सेवा से निवृत हो गई है। उन्होंने GIS की अदायगी की राशी रू० 22117/- की संस्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया है GIS की वर्ष 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012 की Statement भी संलग्न करके भेजी है अधिकारी को Interest सहित राशि 22117/रू० का भुगतान किया जाना है। इस राशि के भुगतान हेतु उप निदेशक अभिलेख महोदया सक्षम अधिकारी है।

निरन्तर

हरियाणा सरकार

पूर्व पृष्ठ से।-

अतः यदि अनुमोदन हो तो श्रीमति मृदुला भार्गव, सहायक निदेशक सेवा निवृत को उनके GIS खाता में जमा राशि 22117/-रु० का भुगतान कर दिया जाये। Rs-22117/-

कृपया अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ

प्राकप भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

लिपिक 5/9/12

अधी०

उ०नि०

SA

Asstt.

5/9/12

Rajwanti 5/9

5/9/12

कृपया प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

लिपिक 6/9/12

अधी०

उ०नि०

SA। के जारी करें

6/9/12

Rajwanti 10/9

10/9/12

~~Desp~~

Asstt.-II

जारी क्रमांक 1244 to 1249

दिनांक 12/9/2012

Anil Kumar

GOVERNMENT OF HARYANA

हरियाणा सरकार
DY No – 1769
Dated :- 7/12/2012

प्रेषक :-

श्रीकृष्णा
अभिलेखपाल
5/12/2012

विषय :- जी० आई० एस० स्कीम के अधीन अंशदान राशि का भुगतान करवाने बारे।

वि० प०

अधिकारीगण कृ० विचार पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

विभाग के श्री श्रीकृष्णा, अभिलेखपाल ने अपने पत्र दिनांक 6-12-12 को सूचित किया है कि वे दिनांक 31-12-2012 को सेवा से निवृत हो रहे हैं उन्होंने GIS की Final Payment की अदायगी करने बारे अनुरोध किया है।

इस संबंध में ध्यान में लाया जाता है कि कर्मचारी की Final Payment Rs. 27810/- की राशि Interest सहित बनती है। कर्मचारी की GIS से संबंधित Ledger Account Register में amount की Detail Interest सहित तैयार कर दी गई है उक्त राशि का भुगतान किया जाना है। इस राशि के भुगतान हेतु उप निदेशक, अभिलेख महोदय सक्षम अधिकारी हैं।

निरन्तर - -

हरियाणा सरकार

पूर्व पृष्ठ से :–

यदि अनुमोदन हो तो उनके GI's खाते में जमा राशि का मिलान करके लिया जाये। Ledger Account Register की फोटो के साथ, हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।

पूर्व अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रारूप भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

13/12/12
अधी०

अ०स०

17/12/12

Rajwanti
18/12

डी.ए. द्वारा टाईप हेतु।
ए.डी.
18/12/12

ए. Steno
ASSH-II
1/1/13

कृपया प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

01/1/13
अधी०
अ०स०

2/1/13

Rajwanti
3/1/13

डी.ए. द्वारा जारी करने हेतु
Desp
ASSH-II

ए.डी.
3/1/13

जारी क्र० 13 to 16
Date 3/1/2013
Sunil Kumar

हरियाणा सरकार

कृपया अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि सर्वश्री कुलदीप कुमार, अनिल कुमार व जाग महेन्द्र तीनों लिपिकों का GIS खाता खोल दिया जाना है। श्रीमति मन्जू, सहायक अभिलेखपाल के बाद इन तीनों कर्मचारियों का न० आता है। जिनका विवरण इस प्रकार है।

क्र स.	नाम व पद	GIS खाता संख्या
	सर्वश्री	
1.	कुलदीप कुमार, लिपिक	HR/Archives/2013/GIS/C/55
2.	अनिल कुमार, -सम-	HR/Archives/2013/GIS/C/56.
3.	जाग महेन्द्र, -सम-	HR/Archives/2013/GIS/C/57.

अतः GIS Account No. Allot करने के लिए सूचना Forms में भर दी गई है A/c No. allot करने के लिए प्रारूप अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ। यदि अनुमोदन हो तो इसकी सूचना मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को भी भेज दी जाए।

कृ० अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ/BFA भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कृ complete draft प्रस्तुत करें
कुमार 10/1/13
Asstt-II
कृ० कर्मी लिपिक अपना GIS से संबंधित Form आदि भर कर दें
[signature] 11/1/12
EA-I
Anil Kr 14/1/13

[signature] 10/1/13
अ०पा०

[signature]

निदेशक

हरियाणा सरकार

पूर्व पृष्ठ से :-

पूर्व पृष्ठ-79/N पर अ०मु०सचिव की टिप्पणी अनुसार श्री कुलदीप कुमार, अनिल कुमार व जगमहेन्द्र, तीनों लिपिकों को GIS के नं० Allot कर दिए गए हैं। इसकी सूचना मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासनिक विभाग, हरियाणा को भेज दी जाए। सभी Form complete कर दिए गए हैं। तीनों लिपिकों ने Form No. 8 भर कर दे दिये हैं। इस प्रकार Form No. 8 व Form-I के अनुसार सूचना complete भर दी गई है।

कृपया प्रारूप को अनुमोदन हेतु हस्ताक्षार्थ प्रस्तुत है।

(signature) 2/4/13
अधी० (OL)

~~उ० नि० अ०~~

(signature) 2/4/13

SA OL
~~Asstt~~

कृपया जारी करें।

(signature) 2/4/13

~~Desp.~~
Asstt-II

जारी क्र० 513
Date 2/4/2013
(signature)

हरियाणा सरकार

Dy. No. 637
Dated 1-4-2013

RIGHT TO INFORMATION

प्रेषक

सहायक निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेखागार, अम्बाला मण्डल, अम्बाला।

पत्र क्रमांक 2/4-2012-अ०म०अ०/47
दिनांक अम्बाला 28-3-2013

विषय:- श्री अवतार सिंह सोनी, सहायक निदेशक की सेवा निवृत्ति पर G.I.S. की अदायगी की संस्वीकृति भेजने बारे।

टि०प०

अधिकारीगण कृपा टि०प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सहायक निदेशक, अम्बाला के पत्र दि० 28-3-13 के संदर्भ में GIS की Final Payment की अदायगी बारे सूचित किया है। अधिकारी की Jan. 12 की कटौती Ambala में की गई है वहीं पर GIS की Payment होनी बनती है। इस सम्बन्ध में ध्यान में लाया जाता है कि अभी विभाग को वर्ष 2013-2014 GIS की Redeeaction [?] की प्रति प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार से उक्त प्रति उपलब्ध होगी तो श्री अवतार सिंह, सहा० निदे० का GIS की अदायगी की संस्वीकृति जारी कर दी जाएगी इतना टि०प० को लम्बित रख लिया जाए इस संबंध में श्री अवतार सिंह, सहा० निदे० को भी Phone द्वारा सूचित कर दिया गया है।

आदेशार्थ टि०प० को लम्बित रखने के सम्बन्ध में केस प्रस्तुत है।

22/4/13 22/4/13

26/4/13

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

कृपया इस case का संबंध श्री अवतार सिंह स०हा० निर्दे० सेवा निवृत्त का GIS की अदायगी करने से है।

श्री अवतार सिंह सहा० निर्दे० सेवा निवृत्त की GIS की Payment Rs. 28713/- की राशि Interest सहित बनती है। Ledger Account Register में Amount की Detail Interest सहित तैयार कर दी गई है। उक्त राशि का भुगतान किया जाना है। इस भुगतान की अदायगी की स्वीकृति देने हेतु उप निदेशक अभिलेख महोदया सक्षम अधिकारी हैं।

यदि अनुमोदन हो तो उनके GIS खाते में जमा राशि का भुगतान कर दिया जाए। Ledger Account Register भी File के साथ अवलोकनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

कृ० आदेशार्थ/ तो कृपा भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(signature) 17/6/13
अधी०

लेखा अधि०

(signature) 25/6/13

(signature) 26/6/13

DD Arch.

(signature) 27/6

A/O

SA

(signature) 27/6

(signature) 2/7/13

Asstt.

श्री अवतार सिंह, सहा० निर्दे० सेवा निवृत्त ने Phone द्वारा सूचित किया है कि वे दो महीने का GIS का Interest नहीं लेंगे।
(signature) 5/7/13
अधी०

GOVERNMENT OF HARYANA

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

निरन्तर

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

पूर्व पृष्ठ से :-

कृपया प्रारूप Type हेतु ।

05/7/13

~~Steno~~ ~~Asstt~~ 5/7/13

कृपया प्रारूप की ~~स्वच्छ~~ प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं ।

8/7/13

~~Supdt~~

A/O

8/7/13

8/7

~~DSA~~

~~A/O~~ ~~SA~~

8/7

Rajwanti 8/7

डी जारी करें

~~Desp~~ Incharge

8/7/13

~~Asstt~~

कृपया जारी क्रमांक 1056 to 1061 और दिनांक 9/7/2013 को जारी किया 9/7/2013

हरियाणा सरकार

Dy. No. 1600

Dated 8-8-2013

RIGHT TO INFORMATION

प्रेषक,

सहायक निदेशक, राजकीय अभिलेखागार
हिसार मण्डल, हिसार।

जारी नं० 01/1/2005 हि० मण्डल/
दिनांक हिसार 31-7-2013 101

विषय:— GIS की स्वीकृति जारी करने बारे।

टि० प०

अधिकारीगण कृ० नि० प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सहायक निदेशक, हिसार कार्यालय के पत्र दि० 31-7-13 के सदंर्भ में सूचित किया है कि उनके कार्यालय के श्री राजेश कुमार, सहा० निदे० जोकि 30-6-2013 को सेवा निवृत हो चुके हैं उनकी GIS Statement की वर्ष 1992 to June 2013 की फोटोप्रति नि० प० के साथ संलग्न कर भेजी है। उनकी GIS A/c No, HR/Archives-86/GIS-CBS में जमा Interest सहित राशि रू० 46244/- की अदायगी के लिए स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया है। इस राशि के भुगतान हेतु उप निदेशक अभिलेख महोदया सक्षम अधिकारी हैं,

अतः यदि अनुमोदन हो तो श्री राजेश कुमार, सहा० निदे०

निरन्तर

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

पूर्व पृष्ठ से

जोकि सेवा से दि० 30-6-13 को निवृत हो चुके हैं उनके GPF खाता में जमा राशि 56244/रु० का भुगतान कर दिया जाए।

कृपया अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रारूप की स्वच्छ प्रति भी हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

[signature] 12/8/13

[signature]

[signature]

[signature] 12/8/13

Rajwati 13/8

~~DA~~ से जारी करें [signature] 13/8/13

जारी क्र० 1334 to 1338 ~~Desp~~ Asstt

Date 14/08/2013

[signature]

हरियाणा सरकार

Dy. No.

Dated

RIGHT TO INFORMATION

प्रेषक,

सर्वश्री

1. नरेश कुमार, आरकाईव्ल रैस्टोरर
2. चरण सिंह, बाईण्डर,

दिनांक

विषय:- सर्वश्री नरेश कुमार R.A व चरण सिंह बाईण्डर की GPF A/c No. HR/Archives/86/GIS/C/15 व HR/Archives/86/GIS/D/C/19 में जमा राशि का भुगतान करने बारे।

टि०प०

अधिकारीगण कृ० वि० प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सर्वश्री नरेश कुमार आरकाईव्ल रैस्टोरर व चरण सिंह, बाईण्डर, दोनों कर्मचारी जोकि दिनांक 31-10-2013 को सेवा निवृत हो चुके हैं, उनकी GIS Statement तैयार कर दी गई हैं GIS की Final Payment की अदायगी की जानी देय हो गई है, उनकी GIS A/C No. HR/Archives/86/GIS/C/15 HR/Archives/86/GIS/D/C/19 में जमा Interest सहित राशि रू० 30158 व 26595 की अदायगी के लिए संस्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया है इस राशि के भुगतान हेतु उप निदेशक अभिलेख महोदया सक्षम अधिकारी है। सर्वश्री नरेश कुमार, A.R. रू० 30158/- व चरण सिंह, बाई० की रू० 26595/की राशि बनती है।

अत: यदि अनुमोदन हो तो श्री नरेश कुमार, आरकाईव्ल रैस्टोरर व चरण सिंह, बाईण्डर दोनों कर्मचारी जोकि सेवा से दिनांक 31-10-2013 को निवृत हो चुके हैं।

निरन्तर

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

पूर्व पृष्ठ सं:-

उनके GIS खाता में जमा राशि रु० 30158 नरेश कुमार, AR व 26595/ रु. की राशि चरण सिंह बा०र्दि० का भुगतान कर दिया जाए। दोनों कर्मचारियों की GIS Statement computer से निकलवा ली जाएगी।

कृपया ~~अनुमोदनार्थ~~ आदेशार्थ

प्रारूप ~~की~~ ~~अनुमोदनार्थ~~ ~~हस्ताक्षरार्थ~~ आदेशार्थ

प्रस्तुत है। GIS रजिस्टर हस्ताक्षरार्थ।

[signature] 25/11/13

~~अधी०~~

A/O

[signature] 25/11/13

[signature] 25/11

DD Acctt.

Rajkumari 26/11

A/O

[signature] 26/11

[signature] 26/11/13

SA

Asstt.

श्री नरेश कुमार GIS: ~~HR Archives~~ HR/Archives/86/GIS/C/15 — Rs. 30158/- की राशि

श्री चरण सिंह, GIS:— HR/Archives/86/GIS/D/C/19 Rs. 26595/- की राशि GIS की sanction दोनों कर्मचारियों की computer से निकाल दें।

[signature] 26/11/13 Steno ~~Asstt.~~ [signature] 27/11/13

निरन्तर

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

पूर्व पृ० से।

कृपया श्री नरेश कुमार, A.R. व चमन सिंह, वार्ड० दोनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों का GIS Sanction की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षार्थ प्रस्तुत हैं।

28/11/13

28/11/13

अधी०

लेखा अधिकारी

2/12/14

DD Acctt.

3/12

AO

3/12

Asstt-II

~~शुद्ध जारी करें~~।

3/12/13

Steno

Asstt-II

जारी० 2009 to 2013
2014 to 2018
Date 3/12/13

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

कृपया अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि श्रीमति मनोज, सहायक अभिलेखपाल व श्रीमति मीनाक्षी वर्मा, सहायक अभिलेखपाल दोनों कर्मचारियों का GIS खाता खोल दिया गया है। श्री जगमहेन्द्र लिपिक के बाद इन दोनों कर्मचारियों का नं० आता है जिनका विवरण इस प्रकार है।

क्रमांक नाम व पद	GIS खाता संख्या
1. श्रीमति मनोज, सहायक अभिलेखपाल	HR/Archives/2014/~~GIS~~/GIS/C/58.
2. श्रीमति मीनाक्षी वर्मा, सहा० अभिलेखपाल	HR/Archives/2014/GIS/C/59.

यदि अनुमति हो तो GIS Account No. Allot करने के लिए सूचना दोनों कर्मचारियों के forms में भरवा ली जाए फिर इसकी सूचना मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को भी भेज दी जाएगी।

हि० अनुमोदनार्थ आदेशार्थ

[signature] 19/2/14 अधीक्षक

AO

[signature] 19/2/14

[signature] 28/2

DDArch.

Rajwanti 28/2

A/O

[signature] 28/2

Supdt

Asstt [signature] 28/2/14

GOVERNMENT OF HARYANA

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

पूर्व पृ० से।

पूर्व पृ० 89/N के अनुसार श्रीमति मनोज व मीनाक्षी वर्मा, दोनों सहायक अभिलेखपालों को GPF A/C No. Allot कर दिए गए है। श्रीमति मनोज, सहायक अभिलेखपाल ने Nomination के सम्बन्ध में Form No. 8 भर कर दिया है। श्रीमति मीनाक्षी वर्मा, सहा० अभि०पाल अभी maternity Leave पर है। अवकाश से आने के बाद उनसे Nomination form-8 भरवा लिया जाएगा। फिलहाल श्रीमति मनोज, सहा० अभि०पाल का Form No. 8 व Form-I के अनुसार complete सूचना भेज दी जाए जो कि भर दी गई है।

कृपया प्रारूप अनुमोदनार्थ आदेशार्थ प्रस्तुत है।

[signature] 17/4/14
अधीक्षक

[signature] 17/4/14

A/O

[signature] 17/4

DD Arch

A/O

Rajwanti 18/4

[signature] 21/4

[signature] Supdt

मि० टाईप हेतु।

[signature] 21/4/14

Steno
Asstt

[signature] 23/4/14

कृपया प्रारूप में कुछ गलतियाँ हैं Retype कर दें।

[signature] 24/4/14

[signature] 24/4/14
Steno
Asstt

GOVERNMENT OF HARYANA

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

निरन्तर

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

मु० लेखा सै०,

श्री Manoj, Asstt Adm. का GIS Nomination फॉर्म के संबंध में प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

02/5/14

5/5/14

A/O

6/5/14.

DDA,

Rajwante 6/5/14

जारी क्र० 872 Dated 8/05/14

Supdt

A/O

6/5/14.

कृ० जारी करें Deep

6/5/14

Asstt

GOVERNMENT OF HARYANA

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

- 92 -

हरियाणा सरकार
Dy. No. 394
Dated 18-2-15

RIGHT TO INFORMATION

प्रेषक

उप आबकारी एवं कराधान, आयुक्त (बिक्री कर) जीन्द।

क्र० नं० 397 / स्था०, दिनांक 5-2-15

विषय। GIS का विवरण भेजने बारे श्री अजय शर्मा, लिपिक (सेवा निवृत)

कि० प०

अधिकारीगण कृ० कि०प० को अवलोकन करने का कष्ट करें।

उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्रीकर) जीन्द के पत्र दि० 5-2-15 के अन्तर्गत अंकित किया है कि श्री अजय शर्मा, लिपिक (सेवा निवृत) का 26-8-1992 से 25-1-2000 तक अभिलेखागार विभाग में कार्यरत रहा है, उन्होंने उसकी GIS का विवरण भेजने बारे अनुरोध किया है।

श्री अजय शर्मा, लिपिक विभाग में शोध एवं संदर्भ सहायक के पद पर दि० 26-8-92 को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। उप आबकारी व कराधान आयुक्त (बिक्रीकर) कैथल में लिपिक के पद पर स्थानान्तरण आधार पर चयन हो जाने के कारण दि० 25-1-2000 (A.N.) कार्यभार मुक्त (Relieve) कर दिया गया था। कर्मचारी का विभाग में 1-1-1993 से GIS खाता नं० HR/Archives/93/GIS/C/48 खुला हुआ है। यदि अनुमोदन हो तो 1-1-93 से लेकर 1-1-2000 तक कर्मचारी की GIS की स्टेटमेन्ट की फोटो प्रति भेज दी जाए।

कृ० आदेशार्थ प्रारूप भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(signature) 19/2/15

- A/O

(signature) 19/2/15

DDArch.

(signature)

GOVERNMENT OF HARYANA
KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

Supdt. (signature) 20/2/15

निरन्तर

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

पूर्व पृष्ठ से:-

कृपया प्रारूप की स्वच्छ प्रति हस्ताक्षार्थ प्रस्तुत है।

25/2/15
अ0 सहा0
उ0नि0अ0

25/2/15

Rajwanti
25/2

कृ जारी करें
Desp
Asstt II
25/2/15

Issue No. 301
dated 25/2/15

कृपया अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि श्रीमति मीनाक्षी वर्मा, सहायक अभिलेखपाल का UIS Al. No. allot कर दिया गया था UIS No. HR/Archives/2014/4IS/C/59* है, आवेदनधारी को सूचना प्रपत्र न. I व Form No. 8 में भेजा दी गई है।

यदि अनुमोदन हो तो इसकी सूचना मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को भेज दी जाए।

कृ0 प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षार्थ प्रस्तुत है।

24/4/15
अ0 सहा0
उ0नि0अ0

24/4/15

Rajwanti
24/4

कृ जारी करें
Desp
Asstt II
24/4/15

Issue No 692
Dated 24/4/2015

GOVERNMENT OF HARYANA
KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

हरियाणा सरकार

Dy. No. 1285
27-7-15

RIGHT TO INFORMATION

प्रेषक,

सहायक निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेखागार
रोहतक मण्डल, रोहतक।

पत्र क्रं० 1/1-97-RDA/72
दिनांक रोहतक 15-7-15

Sub:- Final Payment of GIS Amount.

टि०प०

अधिकारीगण कृ० टि०प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सहायक निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेखागार रोहतक मण्डल, रोहतक के पत्र दि० 15-7-15 के अन्तर्गत सूचित किया है कि उनके कार्यालय के सेवा निवृत श्री अनुराग श्रीवास्तव, सहा० निदे० व श्री सुरेश कुमार, बाईंडर की वर्ष 2013-2014 की GIS से संबंधित Statement भेजी है।

जो इस प्रकार है।

	GIS amount
1. Sh. Anurag Srivastava Assistant Director (Retired)	Rs. 42435/-
2 Sh. Suresh Kumar, Binder (Retired)	Rs. 27309/-

इस संबंध में अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि रोहतक कार्यालय से GIS की yearly Statement Sh. Anurag Srivastava, Assistant Director, (Retired) & Sh. Suresh Kumar, Binder (Retired) की वर्ष 2013-2014 की GIS की Statement प्राप्त हुई है। परन्तु श्री अनुराग श्रीवास्तव, सहायक निदेशक (सेवानिवृत) की Statement की Amount ठीक नहीं है, उनके GIS Register से check करने उपरान्त ही case निकाला जाना बनता है।

पूर्व पृ० से:-

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

श्री सुरेश कुमार, वाईण्डर की 1-4-2013 से 31-3-2014 की GIS की Statement भेजी गई है। 1-4-2014 से 31-3-2015 तक Amount Statement तैयार Register में चढ़ा दी गई है। कर्मचारी की GIS की Final Payment की अदायगी रु० 28220/- की जानी बनती है। जो कि तैयार कर दी गई है।

यदि अनुमोदन हो तो श्री सुरेश कुमार, वाईण्डर को उनके GIS खाते में जमा राशि 28220/- रु० का भुगतान कर दिया जाए।

कृपया अनुमोदनार्थ आदेशार्थ/प्राकप भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

14/8/15

18/8/15

~~AO~~

Do as discussed.

21/8

AAO-I

कृपया अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव, सहायक निदेशक सेवा निवृत की GIS से संबंधित Statement नहीं प्राप्त हो गई है। GIS की payment की जानी है। अधिकारी की 1-4-2011 से 30-11-2014 की Detail भी निकाल दी पूर्ण विवरण सहित।

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

~~कार्य क्र० सो०~~

GIS Register में इन्द्राज कर दिया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है,

Sr. No.	Name & Designation	GIS amount Rs.
1.	Shri Anurag Srivastava, Assistant Director (Retired)	46464-00
2.	Shri Suresh Kumar, Binder (Retired)	28220-00

उक्त विवरणानुसार Rs. 46464-00 व 28220-00 रु० की राशि की GIS में संबंधित की अदायगी की जानी है।

कृपया से प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। GIS से संबंधित Statement Register भी फाईल के साथ बन्धे हुए हैं।

(Signature) 7/9/15
अधी०

A/O

(Signature) 8/9/15

Supdt. may recheck + re-submit again.

(Signature) 11/9

Supdt

(Signature) 14/9/15

Asstt. ID

उक्त आदेशानुसार श्री अनुराग श्रीवास्तव, सहायक निदे० (सेवानिवृत्त) व श्री सुरेश कुमार, बाईण्डर (सेवा निवृत्त) की GIS amount दुबारा से check की गई जो इस प्रकार से है

GOVERNMENT OF HARYANA

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

हरियाणा सरकार

Sr. No	Name & Designation	GIS amount
1.	Sh. Anurag Srivastava Assistant Director (Retired)	46464-00
2.	Sh. Suresh Kumar, Binder (Retired)	30440-00

उक्त विवरणानुसार Rs. 46464-00 व 30440-00 रू० की अदायगी की जानी है। कृपया दो प्राकप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। GIS से संबंधित Statement ~~File~~ के नीचे रखी है। जोकि F/A व F B पर उपलब्ध है।

(Suresh Gupta, Asstt)
15/9/15

अधी०

कृपया श्री अनुराग श्रीवास्तव, स०नि० दिनांक 30-11-2014 व श्री सुरेश कुमार बाईंडर दिनांक 31-3-2015 को सेवा निवृत हो चुके हैं। अतः उक्त अधिकारी/कर्मचारी की GIS की क्रमशः रू 46464/- व रू 30440/- की अदायगी की जानी है।

अतः अनुमोदित हो तो उक्त कर्मचारियों को GIS की रू 46464/- व रू 30440/- की अदायगी कर दी जाये। इसकी स्वीकृति देने के लिए महानिदेशक महोदय सक्षम हैं।

अतः कृपया महानिदेशक महोदय की अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

(signature)
16/9/15
(राजकुमार आलोक)

ले० लि०

(signature)
16/9/15

DGA

(signature)
17/9/15

Supdt
(signature)
17/9/15

(signature)
17.9.2015

GOVERNMENT OF HARYANA
KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

Asstt

निरन्तर

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

पूर्व पृ० से:-

श्री अनुराग श्रीवास्तव, सहा० निदे० व श्री सुरेश कुमार, कार्डेक्टर (सेवा निवृत्त) की GIS की अदायगी के सम्बन्ध में प्रारूपों की स्वच्छ प्रतियां हस्ताक्षार्थ प्रस्तुत हैं।

[signature] 29/9/15

अधी० — कृपया प्रारूप पुन: चैक करके प्रस्तुत करें

[signature] 1/10/15

[signature]

Retype Programmer

[signature] 1/10/15

कृपया प्रारूपों की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षार्थ प्रस्तुत हैं।

[signature] 05/10/15

अधी०

[signature] 5/10/15

Asstt.

कृपया जारी करें।

[signature] 5/10/15

Desp. Asstt.

Issue No. 1337 to 1342
1343 to 1348

dated 5/10/15

Sunil m Clerk

-99-

हरियाणा सरकार

Dy. No. 863

Dated 19-7-16

RIGHT TO INFORMATION

प्रेषक,

श्री सत्यनारायण, अभिलेख परिचर।

दिनांक 15-7-2016.

विषय :- GIS के अधीन अंशदान राशी का भुगतान करवाने बारे।

टिप्पणी

अधिकारीगण, कृ० विषय का अवलोकन करने का कष्ट करें।

विभाग के श्री सत्यनारायण अभिलेख परिचर ने अपने पत्र दि० 15-7-16 के अन्तर्गत अनुरोध किया है कि वे दिनांक 31-7-2016 से सेवा निवृत हो रहे हैं। उन्होंने GIS के अधीन अंशदान राशि तथा तथा नियमानुसार देय ब्याज की राशि सहित भुगतान करने बारे सूचित किया है।

इस संबंध में ध्यान में लाया जाता है कि कर्मचारी दिनांक 31-7-2016 को सेवा निवृत हो रहे हैं। इसलिए GIS से संबंधित Final Payment की अदायगी की जानी है जोकि देय हो गई है।

GOVERNMENT OF HARYANA

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

पूर्व पृ० से :-

श्री सत्यनारायण, रिकार्ड कुरेटर की GIS A/C No. HR./Archives/87/GIS/D/C/25 में जमा Interest सहित राशि रु० 20182/- की अदायगी के लिए स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया है। उक्त राशि का भुगतान करने हेतु अधिकारीगण के अनुमोदनार्थ आदेशार्थ प्रस्तुत है। GIS Register भी File के साथ नत्थी हुआ है।

(हस्ताक्षर) 19/7/16

सह० (हस्ताक्षर) 9/7/2016

~~SH~~
अ०नि०

(हस्ताक्षर) 22/7/16

For approval Pls.

Manju, 26.7.16

W.DA

W.P~~SA~~

DA (Conclusive)

~~SAD~~

(हस्ताक्षर)

Manju. 28.7.16

Supdt

(हस्ताक्षर) 28/7/16

~~Asstt~~

(हस्ताक्षर) 1/8/2016

प्र० प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है

GOVERNMENT OF HARYANA
KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

(हस्ताक्षर) 1/8/16
सहायक

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

GOVERNMENT OF HARYANA

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

HARYANA SWARNA UTSAV

विषय:- सर्वश्री ईश्वर सिंह, वार्डेन्डर व अनिल कुमार, सहायक लायब्रेरियन सेवा निवृतों को GIS के अधीन अंशदान राशी का भुगतान करने बारे।

इस केस का सम्बन्ध सर्वश्री ईश्वर सिंह, वार्डेन्डर व अनिल कुमार, सहायक लायब्रेरियन दोनों सेवा निवृत कर्मचारियों को GIS के अधीन अंशदान राशी का भुगतान करने से है।

इस संबंध में ध्यान में लाया जाता है कि सर्वश्री ईश्वर सिंह, वार्डेन्डर दिनांक 31-3-2017 को व अनिल कुमार, सहायक लायब्रेरियन दिनांक 30-4-2017 को सेवा से दोनों कर्मचारी निवृत हो चुके हैं, उनकी GIS Statement तैयार कर दी गई है, GIS की Final Payment की अदायगी की जानी देय हो गई है। उनका GIS A/c No. HR/Archives/86/D/C/17 व HR/Archives/GIS/C/87/30 में जमा Interest सहित राशि रु० 39380/- व 36252/रु० की अदायगी के लिए स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया है।

सर्वश्री ईश्वर सिंह, वार्डेन्डर की Rs. 39380/- व अनिल कुमार, सहायक लायब्रेरियन की Rs. 36252/रु० की राशी बनती है। उक्त राशी का भुगतान किया जाना है। इसकी स्वीकृति देने के लिए ~~महोदय~~ निदेशक अभिलेख महोदय सक्षम अधिकारी हैं।

GOVERNMENT OF HARYANA

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

पूर्व पृष्ठ से

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

अतः यदि अनुमोदन हो तो श्री ईश्वर सिंह बाईण्डर जोकि दि० 31-3-17 व श्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक लायब्रेरियन दिनांक 30-4-17 को सेवा निवृत हो चुके हैं। दोनों कर्मचारियों की GIS खाता में जमा राशि 39380 श्री ईश्वर सिंह बाईण्डर व 36252/ रु० श्री अनिल कुमार सहायक लायब्रेरियन की GIS में जमा राशियों का भुगतान कर दिया जाए।

Sr. No.	Name & Designation	GIS amount with Interest
1.	Sh. Ishwar Singh, Binder.	Rs. 39380-00
2.	Sh. Anil Kumar Sharma, Assistant Librarian.	Rs. 36252-00

उक्त विवरणानुसार दोनों कर्मचारियों को GIS की रु. 39380-00 व 36252-00 की राशी की अदायगी की जानी है।

म० महा निदेशक अभिलेख महोदय के अनुमोदनार्थ आदेशार्थ प्रस्तुत है।

09/08/17
अ०लि०(COL) AD

Manju
10.8.17

AD

Supdt. may check & re-submit

18/8/17

AD

Manju
18.8.17

SA — चैक कर लिया है अदा की राशी रु 39380/- व रु 36252/- ठीक है।
(हस्ताक्षर) 18/8/17

AD
AP

Manju
21.8.17

AD

21/8

from pre page

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

HARYANA SWARNA UTSAV

'A' on pre page is submitted for approval of W.D.G.A pls, regarding GIS payment of Sh. Anil Kumar librarian (retired)

Manju
22.8.17

W.D.G.A

TE
22/8

AO

Manju
23.8.17

SA

23/8/17

Asstt-E

प्रo दो प्रारूप type हेतु।

30/8/17

Steno

Asstt-E

प्रo प्रारूप I व II की स्वच्छ प्रतियां हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

05/9/17 AD

Manju
5-9-17

प्रo जारी करें

Asstt-I

Despatch No. 1826-1836
Dated 05-09-17

Asstt-I

Government of Haryana

विषय: श्री राष्ट्र कुमार, अधीक्षक की GIS की Final Payment की अदायगी करने बारे 1

इस केस का सम्बन्ध श्री राष्ट्र कुमार, अधीक्षक को GIS की payment करने से है 1

इस सम्बन्ध में ध्यान में लाया जाता है कि श्री राष्ट्र कुमार, अधीक्षक 31.3.2018 को सेवा निवृत हो रहे है 1 उनकी GIS statement तैयार कर दी गयी है , GIS की final payment की अदायगी की जानी देय हो गई है 1 उनका GIS A/C No. HR/Archives/91/Gis/C/B/40 में जमा ब्याज सहित राशि रु0 35304/- की अदायगी के लिए स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया है 1

श्री राष्ट्र कुमार, अधीक्षक का रु0 35304/- की राशि बनती है 1 उक्त राशि का भुगतान किया जाना है 1 इसकी स्वीकृति देने के लिए महानिदेशक महोदय सक्षम अधिकारी है 1

कृपया महानिदेशक महोदय के अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है 1

14/3/18

15/3/18

AD

DDA

'A' Submitted for approval of Ws DGA pl

Rajwanti
15/3

DGA

19/3

DD

Raji 19/3

AD

19/3

Asstt-I

कृपया प्रारूप type हेतु।

Steno
21/3/18

20/3/18

Asstt-I

श्री। प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षार्थ प्रस्तुत

27/3/18

27/3/18

AD

DDA

Asstt-I

27/3

Rajwanti
27/3

निरन्तर

पूर्व पृष्ठ से

सं० 48 पृ० 105/N के अनुसार GIS order पर जारी क्रमांक लगाने का कष्ट करें,

Desp/D&P

Asstt-I

27/3/18

Despatch No. 447-451
Dated 27.03.2018
27/3/18

Dy. No. 682, dated 19-3-18.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार, अधीक्षक
दिनांक 14-3-18

विषय:- GIS के अधीन अंशदान राशि का भुगतान करने बारे।

नि० अ०

अधिकारीगण कृ० विषय का अवलोकन करने का कष्ट करें।

श्री राजेन्द्र कुमार, अधी० जोकि दिनांक 31-3-2018 को सेवा निवृत हो चुके हैं ने अपने प्रार्थना पत्र दि० 14-3-18 के अन्तर्गत अनुरोध किया है कि GIS स्कीम के अधीन देय अंशदान राशि तथा नियमानुसार देय ब्याज की राशि का भुगतान करने बारे अनुरोध किया है।

केस सम्बन्ध में ध्यान में लाया जाता है कि सेवा निवृत अधिकारी की GIS से संबंधित order जारी कर दिये गए हैं। नि० अ० विभाग को नि० अ० अवगनार्थ/File हेतु

2/4/18

AD.

2/4/18

DDA

Rajwanti
3/4

Assitt-I

Babloo
8/4

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

HARYANA SWARNA UTSAV
TRANSFORMING HARYANA - PROGRESSING HARYANA

Dy No - 681
Dated - 19-03-2018

प्रेषक

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार।
क्रमांक 3/7/2002-3 एन०जी०आई०एस०
दिनांक, चण्डीगढ़ 07/03/2018

विषय :- अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर नई सामूहिक बीमा योजना-1985 के अन्तर्गत फार्म-1 में तथा उनके एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आने पर/नियमित पदोन्नति होने पर फार्म-II में इन्रोलमेंट सम्बन्धित सूचना भेजने बारे।

वि०प०

अधिकारीगण कृ० वि०प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के पत्र दिनांक 07/03/2018 के अन्तर्गत सूचित किया है कि विभाग का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित पदोन्नत होने पर फार्म-II में इन्रोलमेन्ट संबधी सूचना भेजी जाती है। जो भी अधिकारी/कर्मचारी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आता है सरकार की उक्त हिदायतों अनुसार GIS की कटौती की सूचना उन्हें भेजी जानी है ताकि हिदायतों अनुसार उन्हें पता लग सके।

जो कर्मचारी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आया है उसका विवरण इस प्रकार है:-

नाम	ग्रुप	दिनांक
श्री बलदेव सिंह सहायक निदेशक	-C-	21-12-1987 से 16-07-2013 तक ग्रुप -C में
	-B-	17-07-2013 से Permotion द्वारा ग्रुप -B में

पूर्व पृष्ठ से:

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

नाम ग्रुप दिनांक

श्रीमति मन्जू - C - 19-10-2007 से 04-10-2015 तक ग्रुप-C में
सहायक निदेशक - B - 05-10-2015 से permotion द्वारा ग्रुप-B में

कृपया GIS की कटौती की सूचना जो कर्मचारी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में पदोन्नत हुआ है उनकी सूचना फार्म-II में भर दी गई है।

अत: यदि अनुमोदन हो तो श्री बलदेव सिंह, सहायक निदेशक व श्रीमति मन्जू, सहायक निदेशक की एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आने पर सूचना सरकार को भेज दी जाए।

ड्रा० प्रारूप व फार्म-II अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

[signature] 12/4/18
AD

कृपया प्रारूप दे।
बलदेव 12/4

ASSH-I

ड्रा० Type हेतु Steno
[signature] 12/4/18 ASSH-I [signature] 12-4-2018

निरन्तर — —

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

पूर्व पृ० सं०

पृ० पूर्व [illegible]/N के विवरण अनुसार New Group Insurance Scheme-1985 के अन्तर्गत पदोन्नति होने पर फार्म-II में इनरोलमैन्ट संबंधी सूचना भेजने के संबंध में प्रारूप की स्वच्छ प्रतियां हस्ताक्षार्थ प्रस्तुत है।

[illegible signature]
12/4/18

~~AD~~

[illegible signature]
12/4/18

~~DDA~~

Rajwanti
13/4

~~AD~~

[illegible signature]
13/4

~~Asstt-I~~

~~कृ पुर्ण प्रेषी करें~~/Clerk

Asstt-I

[illegible signature]
13/4/18

Despatch No. 595
Dated 13-04-2018

[illegible initials]

GOVERNMENT OF HARYANA

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE